

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

“वन धन भवन”, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

(पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000)



तेइसवीं वार्षिक साधारण सभा

- दिनांक : 23 दिसम्बर 2022
समय : अपराह्ण 03.00 बजे
स्थान : कान्फेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लेखु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मण्डित

“वन धन भवन”

सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in

मैल (0771) 2513100

Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/MFP08/01-01-AGM/23/2022/17576

अटल नगर, दिनांक 08/12/2022

प्रति,

1. श्री शिव राम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम बोदली, पोस्ट नेलासनार, तहसील गोदम, जिला दतेवाडा (छ.ग.)
2. श्री हुंगाराम बेको, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम नागारास, पोस्ट गाढीरास, तहसील सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)
3. श्री नकुल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, संघ प्रतिनिधि
पता ग्राम माडपाल, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)
4. श्री सुख लाल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम व पोस्ट बवानार, तहसील कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
5. श्री रूपसाय सलाम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट रेमावड, तहसील नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)
6. श्री नितिन पोटाई, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम सिलतारा, पोस्ट मरकाटोला, तहसील कांकेर जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
7. श्री गोपीचंद बढ़ाई, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम गोडपाल, पोस्ट कराकी, तहसील दुर्गकोदल, जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
8. श्री असीम राय, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पी.वी.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पञ्चांगूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
9. श्री विजय लाल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खेरागढ़, संघ प्रतिनिधि
पता ग्राम पाटा, पोस्ट छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
10. श्री दुमन सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम जामुनपानी, पोस्ट चिलफी, विकासखण्ड बोडला, जिला कवर्धा (छ.ग.)
11. श्रीमती आसन बाई शुभ, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट फरसियां, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)
12. श्री रविशंकर कश्यप, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट छोटेलोरम, तहसील पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
13. श्री मनी राम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम बया, पोस्ट बया, तहसील कसडोल, जिला बलौदा-बाजार भाटापारा (छ.ग.)
14. श्री देव सिंह रात्रे, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, गरियावंद, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम झुमरडीह, पोस्ट दुल्ला थाना एवं तहसील छुरा, जिला गरियावंद (छ.ग.)

15. श्री मनोहर सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट छतौना, द्वाया बेलगहना, तहसील कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
16. कु.समीरा पैकरा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, संघ प्रतिनिधि,
पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) द्वाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
17. श्री जगेश्वर सिंह राज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जोजगीर-चांपा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम देवरमाल, पोस्ट देवरी, तहसील सकती, जिला जोजगीर-चांपा (छ.ग.)
18. श्री सुरेन्द्र कुमार सिवार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, विकासखण्ड तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
19. श्री हृदय राम रठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
20. श्री मुवन सिंह कंवर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम दोन्दो, पोस्ट बालको, तहसील बालको, जिला कोरबा (छ.ग.)
21. श्री बेद प्रताप सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटधोरा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम थजाक, पोस्ट पाली, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.)
22. श्री हिरु राम निकुंज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुर नगर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम नीमगांव, पोस्ट पैकू, तहसील व जिला जशपुर (छ.ग.)
23. श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम व पोस्ट चिरमी, थाना खडगवा, पोस्ट चिरमी, तहसील पौड़ी, जिला कोरिया
24. श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम अमरांडी (हरई), पोस्ट सिंगरौली, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
25. श्री देव नारायण, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम व पोस्ट महेवा, जिला बलरामपुर (छ.ग.)
26. श्री भवल साय, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम नरोला, पोस्ट गोविन्दपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)
27. श्री मोहम्मद शाहिद, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी
जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
28. श्री राजू अगसिमनी, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी
जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल (छ.ग.)
29. श्री बी.पी.सिंह, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी
जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव एवं बालोद (छ.ग.)
30. श्री नावेद मुजाउद्दीन, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, प्राधिकृत अधिकारी
जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, (छ.ग.)

31. कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल प्रेसिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
32. संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रुम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्लेक्स, नई दिल्ली-110016
33. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
34. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
35. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर
36. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
37. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
38. विशेष सचिव, छ.ग.शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
39. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
40. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.12.2022 को आयोजित किये जाने के संबंध में सूचना।

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.12.2022 को समय अपराह्न 3.00 बजे “क्रम्फ्लेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर” में आयोजित की गई है। कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध है। बैठक हेतु विषय सूची एवं संक्षेपिका संलग्न है।

संलग्न:- विषय सूची

सही/-
(किरन गुप्ता)
संयुक्त पंजीयक एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय सूची

अनु. क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	बाईसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30.10.2021 के कार्य व्रत की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	01-06
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 में किये गये कार्यों - तेन्दु पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दु पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	07-32
3	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दु पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दु पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	33-39
4	वित्तीय वर्ष 2020-21 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूँजी पर अर्जित व्याज (लाभ) का विभाजन।	40
5	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट की स्वीकृति।	41-67
6	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।	68
7	वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	69-98
8	वित्तीय वर्ष 2022-23 से जिला वृनियानों एवं समिति स्तर पर किये जाने वाले लेखांकन कार्य हेतु सी.ए. फर्म की नियुक्ति बाबत।	99

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

सही/-
संयुक्त पंजीयक एवं सचिव
 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं
 विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

उद्बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण,

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की टईसवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय संघ प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।

सहकारिता में त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) शीर्ष सहकारी संस्था है। जिसका कार्यक्षेत्र समस्त छत्तीसगढ़ राज्य है एवं इसके अंतर्गत 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं 31 जिला वनोपज सहकारी संघ कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज का बाहुल्य है। लगभग 13.50 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते हैं, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी हैं। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इन्हीं गरीब व आदिवासी संग्रहणकर्ताओं के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है।

तेन्दु पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में तेन्दु पत्ते की संग्रहण दर रुपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। तेन्दु पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में संग्रहित होने वाले तेन्दु पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दु पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये हैं, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 837 लाटों की 14.386 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु.1074.84 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु.7471/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 117 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.331 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय नहीं हो सका।

तेन्दु पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 837 लाटों में 14.032 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु.1048.79 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु.7474/- प्रति मानक बोरा रहा।

अग्रिम में अविक्रित 117 में से 1 लाट में विभागीय संग्रहण नहीं हो सका। 116 लाटों में 1.777 लाख मानक बोरा तेन्दु पत्ता का विभागीय संग्रहण कर 1.763 लाख मानक बोरा भण्डारण किया गया। प्रबंध संचालक जिला यूनियन सुकमा के पत्र क्रमांक 2017 दिनांक 09.09.2022 से वर्ष 2022 सीजन के अग्रिम विक्रित लॉट में अवैध संग्रहित / जप्तशुदा 03 लॉट क्रमांक 30व, 31अ एवं 31ब कुल मात्रा 2516.000 मानक बोरा विक्रय हेतु प्रस्तावित की गई। अविक्रित 119 लाटों की 1,77,451.122 लाख मानक बोरा में से 40 लाटों की 56,520.736 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 24.72 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 4374/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 79 लाटों की 1.209 लाख मानक बोरा तेन्दु पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

संघ द्वारा संचालित शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु.2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की

जायेगी। साथ ही दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु.2.00¹ लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जाता है इसके अतिरिक्त दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तृता की स्थिति में राशि रु.2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तृता की स्थिति में राशि रु.1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।

साथ ही तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु.30,000/- एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु.75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। साथ ही दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तृता की स्थिति में रु.75,000/- तथा आंशिक निःशक्तृता की स्थिति में रु.37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना में योजना लागू होने की तिथि से नवंबर-2022 तक 4692 प्रकरणों में राशि रु.71,02,55,000/- की संग्राहक परिवार के दोवेदारों को सहायता अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्यों के जीवन की सुरक्षा हेतु सामूहिक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत संग्राहक परिवार के सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष से अधिक न हो, की मृत्यु होने पर संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया (दोवेदार) को रु.12,000/- की सुरक्षा सहयोग राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना में योजना लागू तिथि से नवंबर-2022 तक 3850 प्रकरणों में राशि रु.4,62,00,000/- की सुरक्षा सहयोग राशि का भुगतान किया जा चुका है।

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संघ के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु पुरस्कार योजना, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना, गैर व्यवसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना एवं प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति योजना संचालित है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु पुरस्कार योजना अंतर्गत 2305 छात्र/छात्राओं को राशि रु.63,16,000/-, प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 3754 छात्र/छात्राओं को राशि रु.6,65,60,000/-, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 212 छात्र/छात्राओं को राशि रु.17,70,000/- एवं गैर-व्यवसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना अंतर्गत 1295 छात्र/छात्राओं को राशि रु.58,19,000/- का भुगतान किया गया है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2020 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से शासन से अनुमोदन उपरान्त लगभग राशि रूपये 34.49 करोड़ का तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण का कार्य दिनांक 17.06.2022 से किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गयी जनधोषणा क्रियान्वयन हेतु गठित समिति के निर्णय एवं शासन से प्राप्त निर्देश के पालन में प्राथमिक बनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक राशि रूपये 12500/- से बढ़ाकर राशि रूपये 20000/- मासिक, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/MFP08/04-01/2022/01 दिनांक 25/04/2022 द्वारा किया जा चुका है।

पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य लघु बनोपज संघ द्वारा केवल 07 लघु बनोपज का ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही क्रय किया जाता था जिसे बढ़ाकर 38 बनोपज किया गया। साथ ही संघ द्वारा निर्धारित दर पर 27 बनोपज की खरीदी की जा रही है। इस प्रकार महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 65 बनोपज की खरीदी की जा रही है। इससे एक ओर जहां संग्राहकों को उनके बनोपज को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है, वही दूसरी ओर समूहों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

संघ द्वारा संग्रहित बनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 145 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” नाम पर संजीवनी केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं। लघु बनोपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने तथा संग्राहकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्य ग्राम जामगाँव (एम.), विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग में किया जा रहा है, जिसमें छ.ग. राज्य लघु बनोपज संघ द्वारा आयुर्वेदिक इकाई की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

जिला गरियाबंद के देवभोग में PMI-ME के अंतर्गत इन्क्यूबेशन सेंटर एवं ग्रामीण फूड पार्क की स्थापना की जा रही है जिसमें विभिन्न प्रकार के बनोपज एवं कृषि उपज आधारित प्रसंस्करण उद्योग जैसे- लाख, दाल, मसाला, चिरींजी, खाद्य तेल (फल्ली तेल) एवं तैलीय बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किये जायेंगे।

छ.ग. शासन द्वारा देश में पहली बार लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु “लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन क्रण वितरण कराने हेतु योजना वर्ष 2021” लागू किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकारों अथवा अन्य पारम्परिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, इसकी व्यवसायिक ढंग से मार्केटिंग किये जाने तथा उत्पादक समूहों को अधिकतम लाभ प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'C'-मार्ट योजना आरम्भ की गई है। राज्य स्तरीय सी-मार्ट अंतर्गत कुल 80 स्व-सहायता समूह लाभान्वित हैं।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु बनोपज संघ की ओर से पुनः उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य लघु बनोपज सहकारी संघ, जिलों में कार्यरत जिला यूनियन सहकारी संघ तथा 902 प्राथमिक बनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के लघु बनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका है। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार लघु बनोपज संग्राहकों जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगे।

धन्यवाद!

विषय क्रमांक - 1

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की बाईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.10.2021 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की बाईसवीं वार्षिक साधारण सभा माननीय श्री भरत साय अध्यक्ष, छ.ग राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2021 दिन शनिवार को समय अपराह्न 03.00 बजे से कान्फ्रेन्स हाल, त्रुटीय तल, वन धन भवन, सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर में प्रारंभ की गई।

बैठक के प्रारंभ में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा जिला यूनियन के संघ प्रतिनिधियों एवं संचालक मंडल के सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रबंध संचालक द्वारा आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री भरत साय, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर पता - मुण्डाडीह, पोस्ट भगोरा, तहसील फरसाबाहार, जिला जशपुर (छ.ग)
2. श्री टीकम टांडिया, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर पता - ग्राम पोस्ट भीरागांव, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)
3. कु. समीरा पैकरा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग)
4. श्रीमती सुशीला बाई, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर पता- ग्राम मुड़गांव, पोस्ट मुड़गेलमाल, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग)
5. श्री कपूर चंद बिसाई, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर पता - ग्राम पोस्ट बकावण्ड, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर (छ.ग)
6. श्री यज्ञ दत्त शर्मा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर पता - पता- ग्राम आमापारा, बालोद, तहसील बालोद, जिला बालोद।
7. श्री राम सुन्दर, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, संघ प्रतिनिधि पता- ग्राम पोस्ट रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर (छ.ग)
8. श्री मनोहर सिंह राज, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग)
9. श्री सुन्दर सिंह राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट गितकुवारी, व्हाया कुदमुरा, तहसील व जिला कोरबा (छ.ग)
10. श्री सुरेन्द्र कुमार सिद्धार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, संघ प्रतिनिधि पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग)

11. श्री हृदय राठिया, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम कुरा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग)
12. श्री अमर सिंह नेताम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, संघ प्रतिनिधि
पता ग्राम डुमरपाली, पोस्ट बया, व्हावा पिथौरा, वि.ख. कसडोल, जिला बलौदा-बाजार (छ.ग)
13. श्री सोमनाथ सोम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम सम्बलपुर, पोस्ट अमाली, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग)
14. श्री मनोहर सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट जोगनीपाली, समिति सरायपाली, जिला महासमुन्द (छ.ग)
15. श्री पंच राम धुर्वे, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट कुकदुर, विकासखण्ड पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग)
16. श्री दिनेश शाह मंडावी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग)
17. श्री महादेव देहारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम डुमरतराई, पोस्ट बाकुलवाही, जिला नारायणपुर (छ.ग)
18. श्री जे.एस.महस्के, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
प्रतिनिधि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
19. श्री संजय शुक्ला, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर
20. श्री पी.एस.सर्पराज, उप सचिव,
प्रतिनिधि सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
21. श्री जे.एस.महस्के, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
22. श्री एम.आर.ठाकुर, संयुक्त सचिव
प्रतिनिधि विशेष सचिव, छ.ग.शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर
23. श्री पी.एस.सर्पराज, उप सचिव,
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
24. श्री सतीश पाण्डेय, अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन - वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

बाईसवीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में श्री एस.एस.बजाज, अपर प्रबंध संचालक (व्यापार), श्री बी.आनंद बाबू, अपर प्रबंध संचालक (विकास), श्री अमरनाथ प्रसाद, कार्यकारी संचालक, श्री आर.के.जांगड़े, महा प्रबंधक एवं सुश्री किरन गुप्ता सचिव, श्री रजनीश पटेल प्रबंधक (वित्त), श्री एस.के.दत्ता, उप महा प्रबंधक (प्रणाली), श्री नीलेश कुमार तिवारी प्रबंधक (लेखा) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहे:-

1. श्री बसंत सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम जटासमेर, पोस्ट पतरापाली, तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग)
2. श्री प्रीतम सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट बहरासी, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग)
3. श्री अखिलेश, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, संघ प्रतिनिधि,
पता - ग्राम कोरछा, पोस्ट लखनपुर, तहसील लखनपुर जिला सरगुजा (छ.ग)
4. श्री हीरा सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम डडरी, पोस्ट जयनगर, विकासखण्ड व जिला सूरजपुर (छ.ग)
5. श्रीमती बदन बाई, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम सगुना, पोस्ट बिंझरा, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग)
6. श्री राज कुमार बिंझवार, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम अंगारखार, पोस्ट खेजा, तहसील बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग)
7. श्री असीम राय, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पी.वी.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग)
8. श्री पतिराम मण्डावी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट खेतरपाल, तहसील केशकाल, जिला कोणडागांव (छ.ग)
9. श्री भगत राम मरकाम, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, द.कोण्डागांव, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम पोस्ट केरावाही, तहसील मकड़ी, जिला कोण्डागांव (छ.ग)
10. श्री विश्वाम सिंह, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, संघ प्रतिनिधि,
पता - ग्राम माण्डरादरहा, पोस्ट जामगांव, तहसील नरहनपुर जिला कांकेर (छ.ग)
11. श्री महेन्द्र हड्डमा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम चिंचोरगुड़ा, पोस्ट मिसमा, तहसील कोटा, जिला सुकमा (छ.ग)
12. श्री फागुराम तेलामी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा, संघ प्रतिनिधि
पता - ग्राम डारापाल, पोस्ट नेलसनार, जिला बीजापुर (छ.ग)
13. कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई.
बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
14. संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रुम नं. एफ-280,
अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
15. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प	निर्णय
1	इकीसवीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30.12.2020 के कार्य वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	बाईसवीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा इकीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.12.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
2	वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गये कार्यों - तेन्दु पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दु पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	वार्षिक साधारण सभा में प्रबंध संचालक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में संघ द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाये यथा तेन्दुपत्ता बोनस वितरण, शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, बन धन योजना, छात्रवृत्ति वितरण योजना, लाख विकास आदि के अन्तर्गत किये गये कार्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन आमसभा द्वारा किया गया। संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों एवं लक्ष्यपूर्ति की सराहना आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अद्यतन जानकारी का विस्तृत विवरण पुस्तिका में अंकित है।
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दु पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दु पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास,	वार्षिक साधारण सभा में प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दु पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दु पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास,	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अद्यतन जानकारी का विस्तृत विवरण पुस्तिका में अंकित है।

	वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की कार्ययोजना तथा निर्धारित लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन आमसभा द्वारा किया गया।	
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 के पारित अंकेक्षण उपरान्त पूँजी पर अर्जित व्याज (लाभ) का विभाजन।	वित्तीय वर्ष 2019-20 के पारित अंकेक्षण उपरान्त पूँजी पर अर्जित व्याज (लाभ) का विभाजन प्रस्ताव (संचालक मण्डल से अनुमोदन उपरान्त) वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
5	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2022-23 के लिए बजट की स्वीकृति।	वार्षिक साधारण सभा में लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव तथा वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तावित बजट का वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	अनुमोदन उपरान्त संघ की लेखा पुस्तकों में प्रमाणक तैयार किया गया है।
6	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत।	वार्षिक साधारण सभा में लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मेसर्स अजय सिंधवानी एण्ड कंपनी, रायपुर के संपरीक्षक नियुक्ति के प्रस्ताव का उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	मेसर्स अजय सिंधवानी एण्ड कंपनी रायपुर को संपरीक्षक नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया है। उनके द्वारा उक्त अवधि का अंकेक्षण कार्य किया गया है।
7	वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक को संचालक मण्डल से अनुमोदन उपरान्त, वार्षिक साधारण सभा में अवलोकन/ विचार प्रस्तुत किया गया, जिसका वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित/पारित किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

संचालक सदस्यों/प्रतिनिधियों के द्वारा निम्नानुसार सुझाव एवं मांग किया गया।

1	आमसभा के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्तमान में 2 लगातार वर्ष में 500 गड्डी तेन्दूपत्ता संग्रहण करने के प्रावधान नियम के स्थान पर 3 में से किन्हीं 2 वर्षों में 500 गड्डी तेन्दूपत्ता संग्रहण की अनिवार्यता की जाये।	इस योजना में राज्य शासन की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, अतः इस संबंध में निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जाना होगा। योजना तैयार करने के पूर्व इस पर विचार किया गया था, अतः सुझाव मान्य योग्य नहीं है।
---	--	--

विषय क्रमांक - 2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में किये गये कार्यों - तेन्दु पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दु पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नियमित पद संरचना की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गई है। दिनांक 09.09.2022 की स्थिति में संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक कार्यालय तथा जिला वनोपज यूनियन में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-क पर दर्शित है।

(ii) तेंदुपत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजनायें:-

- **शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना:-** तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति / उत्तराधिकारी को राशि रु.2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु.2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जा रहा है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तृता की स्थिति में राशि रु.2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तृता की स्थिति में राशि रु.1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।
- **तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु.30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु.75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तृता की स्थिति में रु.75,000/- तथा आंशिक निःशक्तृता की स्थिति में रु.37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदाय करने का प्रावधान है।**

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन वन विभाग तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित द्वारा वहन किया जावेगा।

इस योजना अंतर्गत माह नवंबर-2022 तक की स्थिति में 31 जिला यूनियनों के कुल 4692 हितग्राहियों को राशि रु.71,02,55,000/- का मुगतान किया जा चुका है।

• **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ द्वारा संचालित)** - वर्ष 2022-23 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दबेदार) को रूपये 12,000/- भुगतान किया जाता है। माह नवंबर-2022 तक की स्थिति में 31 जिला यूनियनों के 3850 हितग्राहियों को राशि रूपये 4,62,00,000/- का भुगतान किया जा चुका है।

• **संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ :-**

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे - भेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू हैं।

• **भेधावी छात्र/छात्राओं हेतु :-** भेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार के तहत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3000/- पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 2305 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 63,16,000/- वितरित किया गया है।

• **प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं हेतु :-** तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उनको कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रू.25,000/- शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 3754 छात्र/छात्राओं को राशि रु.6,65,60,000/- वितरित किया गया है।

• **व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना :-** इस योजना अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी का चयन किया जायेगा जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यवसायिक स्नातक कोर्स जैसे इंजीनियर, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो। विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में राशि रु.10,000/- एवं द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में राशि रु. 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल चार वर्षों में राशि प्रदाय की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 212 छात्र/छात्राओं को राशि रु.17,70,000/- वितरित किया गया है।

• गैर-व्यवसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना :- इस योजना अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए./बी.कॉम/बी.एस-सी. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में राशि रु.5,000/-, द्वितीय वर्ष में रु.4,000/- एवं तृतीय वर्ष में रु.3,000/- अर्थात् तीन वर्षों में कुल रु.12,000/- की अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 1295 छात्र/छात्राओं को राशि रु.58,19,000/- वितरित किया गया है।

प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रबंधकों एवं फड़मुशीयों का समूह बीमा :-

• प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों समूह बीमा:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2022-23 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 783 है, जिसका प्रीमियम भुगतान 8.28 लाख किया गया है। प्रबंधकों की मृत्यु होने पर उनके दावेदार को बीमा राशि रु.1,00,000/- का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2022-23 में पॉलिसी के नवीनीकरण तिथि के पूर्व 05 प्रबंधकों के मृत्यु दावा प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसे भुगतान हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय रायपुर को भेजा गया था। जिसमें से 03 प्रकरणों का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा चुका है।

• प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फड़मुशीयों का समूह बीमा:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के टेंटूपत्ता फड़मुशीयों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2022-23 में बीमित फड़मुशीयों की संख्या 9978 है, जिसका प्रीमियम भुगतान 47.43 लाख किया गया है। फड़मुशीयों की मृत्यु होने पर उनके दावेदार को बीमा राशि रु.1,00,000/- का भुगतान किया जाता है।

(iii) तेन्दू पत्ते का व्यापार

तेन्दू पत्ता वर्ष 2020 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/- प्रति मानक बोरा नियंत्रित की गई।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 634 लाटों में 7.717 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 400.98 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 5196/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 315 लाटों एवं क्रेता करारनामा निष्पादित नहीं किये गये 3 लाटों सहित कुल 318 लाटों में से 24 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ। इस प्रकार 294 लाटों में 1.991 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। इक्षिण कोण्डागांव जिला यूनियन की कोण्डागांव

समिति, लॉट क्रमांक 89 की मात्रा 960.170 मानक बोरा अग्नि से जलकर नष्ट गया है। समस्त भण्डारित 293 लाटों की 1.982 लाख मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 69.25 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 3494/- प्रति मानक बोरा रहा। संग्रहण वर्ष 2020 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण परिशिष्ट-ख में संलग्न है।

तेन्दू पत्ता वर्ष 2021 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्निम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये हैं, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 775 लाटों की 13.481 लाख मानक बोरा अग्निम में विक्रय रु. 890.97 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 6609/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 179 लाटों की अधिसूचित मात्रा 3.236 लाख मानक बोरा अग्निम विक्रय नहीं हो सका।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्निम में विक्रित 775 लाटों में 11.363 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 755.31 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 6647/- प्रति मानक बोरा रहा।

अग्निम में अविक्रित 179 लाटों में 1.692 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर 1.675 लाख मानक बोरा भण्डारण किया गया। इस प्रकार 179 लाटों में संग्रहित 1.675 लाख मानक बोरा में से 106 लाटों की 0.875 लाख मानक बोरा मात्रा का विक्रय राशि रु. 20.58 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2352/- प्रति मानक बोरा में किया गया। संग्रहण वर्ष 2021 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण परिशिष्ट-ग में संलग्न है।

शेष अविक्रित 72 लाटों की 0.790 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्निम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये हैं, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.717 लाख मानक बोरा में से 837 लाटों की 14.386 लाख मानक बोरा अग्निम में विक्रय रु. 1074.84 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 7471/- प्रति मानक बोरा है। शेष अविक्रित 117 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.331 लाख मानक बोरा अग्निम विक्रय नहीं हो सका।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2022 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 837 लाटों में 14.032 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु.1048.79 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 7474/- प्रति मानक बोरा रहा।

अग्रिम में अविक्रित 117 में से 1 लाट में विभागीय संग्रहण नहीं हो सका। 116 लाटों में 1.777 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ता का विभागीय संग्रहण कर 1.763 लाख मानक बोरा भण्डारण किया गया। प्रबंध संचालक जिला यूनियन सुकमा के पत्र क्रमांक 2017 दिनांक 09.09.2022 से वर्ष 2022 सीजन के अग्रिम विक्रित लॉट में अवैध संग्रहित / जप्तशुदा 03 लॉट क्रमांक 30ब, 31अ एवं 31ब कुल मात्रा 2516.000 मानक बोरा विक्रय हेतु प्रस्तावित की गई। अविक्रित 119 लाटों की 1,77,451.122 लाख मानक बोरा में से 40 लाटों की 56,520.736 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 24.72 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 4374/- प्रति मानक बोरा में किया गया। संग्रहण वर्ष 2022 के तेन्दू पत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लाटों का जिला यूनियनवार विवरण परिशिष्ट-घ में संलग्न है।

अविक्रित 79 लाटों की 1.209 लाख मानक बोरा तेन्दू पत्ते के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है।

(iv) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2019 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 70.65 करोड़ का संग्राहकों को सीधे उनके बैंक खाते में NEFT के मध्यम से वितरण किया जा रहा है। संग्रहण वर्ष 2019 में जिला यूनियनवार प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरण योग्य, वितरित एवं वितरण से शेष का विवरण परिशिष्ट-च के संलग्न है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2020 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से शासन से अनुमोदन उपरान्त लगभग राशि रूपये 34.49 करोड़ का तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण का कार्य दिनांक 17.06.2022 से प्रारंभ किया गया है। जिसे शोध पूर्ण कर लिया जावेगा।

(v) प्राथमिक बनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के पारिश्रमिक एवं यात्रा भत्ते में वृद्धि-

माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गयी जनधोषणा क्रियान्वयन हेतु गठित समिति के निर्णय एवं शासन से प्राप्त निर्देश के पालन में प्राथमिक बनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक पारिश्रमिक राशि रूपये 12500/- से बढ़ाकर राशि रूपये 20000/- मासिक, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/MFP08/04-01/2022/ 01 दिनांक 25/04/2022 द्वारा किया जा चुका है।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/MFP08/05-02/2021/5992 दिनांक 16/06/ 2021 द्वारा प्राथमिक बनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों को पूर्व स्वीकृत यात्राभत्तों में वृद्धि की गई है, जिसके अंतर्गत वन-धन योजना से सम्बद्ध समिति प्रबंधक हेतु 6000/- मासिक तथा

अन्य समिति के प्रबंधक हेतु अधिकतम राशि रूपये 4000/- मासिक यात्रा भत्ता भुगतान की सीमा निर्धारित की गई है।

(vi) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य “टैली साफ्टवेयर” के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है साथ ही लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है। संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का लेखांकन कार्य “टैली साफ्टवेयर” के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से चरणबद्ध तरीके से उनका कम्प्यूटाराइजेशन शीघ्र शुरू किया जा रहा है।

(vii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की रिति में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ है। उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध बाचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अंतिम निर्णय हेतु माननीय उच्च न्यायालय में पेशी दिनांक 16.04.2020 को नियत थी। वर्तमान में प्रकरण में आगामी पेशी तिथि अप्राप्त है।

(viii) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार

वनोपज के केताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में उपलब्ध है। इस सुविधा के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जा रही हैं।

संघ द्वारा की गई पहल के कारण अब लघुवनोपज विक्रय से संबंधी सभी कार्य पूर्णतः पारदर्शी, सुलभ एवं द्रुत हो गये हैं। इससे केताओं का संघ के प्रति दृष्टिकोण अच्छा हुआ है एवं प्रशासन में कसावट आई है। इसी प्रकार केताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा केताओं द्वारा जमा कराई गई राशि कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातों में जमा कराई जा रही है।

जिला यूनियनों के कार्यों के संपादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी. एन.बी. फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक

शाखा में जिला यूनियनों के शून्य बैलेंस खातों खोले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रति जिला यूनियन हेतु संघ पत्र क्रमांक/वनो./संघ/वित्त/2018/15130 रायपुर दिनांक 05.11.2018 द्वारा स्थापना प्रशासनिक व अन्य व्यय के मासिक आहरण सीमा का निर्धारण किया गया है। जिला यूनियन के शेष आवश्यक व्ययों के भुगतान हेतु उनकी मांग अनुसार पृथक से आहरण एवं भुगतान की अनुमति दी जाती हैं।

इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों के संघ मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु शून्य बैलेंस पर खाते खोले गये हैं। उक्त खाते से जिला यूनियनों द्वारा जारी किये गये आहरण अनुमति की सीमा तक भुगतान किया जा सकता है।

संघ द्वारा विभिन्न हितग्राहियों के बैंक खातों में योजनाओं की राशि का सीधा हस्तांतरण प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2020 के प्रोत्साहन परिश्रमिक की राशि ऐक्सिस बैंक के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई हैं। इसी प्रकार छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि भी बैंक खातों में ऐक्सिस बैंक के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जा रही है। अपेक्ष बैंक के माध्यम से शहीद महेन्द्रकर्मा टेंटूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि भी आर.टी.जी.एस के माध्यम से संघ मुख्यालय द्वारा सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। इस प्रक्रिया से राशि का हस्तांतरण पारदर्शी एवं त्वरित हो गया है। संघ द्वारा इसी प्रक्रिया के अगले चरण में टेंटूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपजों के क्य राशि का भुगतान भी सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में करने के लिए ऐक्सिस बैंक के माध्यम से साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। भविष्य में वनोपज संग्रहण की परिश्रमिक राशि भी सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा।

(ix) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का संचालक मण्डल

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्था है। जिसके 31 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन सदस्य हैं एवं जिनकी 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां सदस्य हैं। यह एक त्रिस्तीय संरचना है। वर्तमान में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 31 में से 26 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है। शेष 05 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मण्डल के निर्वाचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 02.11.2021 को समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के प्रावधान अनुसार वर्तमान में संघ के संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां पंजीयक / कार्यकारी संचालक में निहित हैं।

(x) अकार्षीय वनोपज विकास - वर्ष 2022-23 में कार्यों की प्रगति

1. लघु वनोपज संग्रहण

1.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (मद क्र. 7) -

लघु वनोपज संग्रहण :- पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा केवल 07 लघु वनोपज का ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही क्रय किया जाता था जिसे बढ़ाकर 38 वनोपज किया गया। साथ ही संघ द्वारा निर्धारित दर पर 27 वनोपज की खरीदी की जा रही है। इस प्रकार महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 65 वनोपज की खरीदी की जा रही है। क्रय किये जाने वाले लघु वनोपज सूची में कोटो, कुटकी, रागी, आमचूर एवं कोसा ककुन जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों को सम्मिलित किया गया।

वित्तीय वर्ष वार लघु वनोपज संग्रहण प्रगति

क्र.	वित्तीय वर्ष	वनोपज संख्या	संग्रहित मात्रा (विच.) / नग में	संग्रहण मूल्य (रु. करोड़)
1.	2018-19	7	5400	3.81
2.	2019-20	17	72188	16.50
3.	2020-21	53	640929	153.69
4.	2021-22	58	415904	119.93
5.	2022-23 (01 अप्रैल से 30 नवम्बर 2022 की स्थिति में)	65	143880.28 रैती कोसा - 1955878 नग	50.40 0.74
महायोग			1278301.28	345.07

1.2 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद से लघु वनोपज संग्रहण (अर्थात् तेन्दु पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश का 15 प्रतिशत राशि से) (मद क्र. 60) -

इस राशि से लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है। इस राशि की सहायता से ऐसे लघु वनोपज, जिस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत नहीं है, का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ देने हेतु 38 प्रकार के लघु वनोपज को भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा 27 प्रकार के अन्य वनोपज को उचित दर पर इस तरह कुल 65 प्रकार के लघु वनोपज के क्रय हेतु व्यवस्था की गई है। इस राशि से क्रय किये गये कुछ महत्वपूर्ण वनोपज विवरण निम्नानुसार हैं:-

1.2.1 फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण:- राज्य सरकार द्वारा महुआ फूल संग्रहण, प्रसंस्करण से ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने हेतु फूड ग्रेड महुआ फूल का संग्रहण विशेष वैज्ञानिक पद्धति से कराया जा रहा है। उक्त महुआ फूल की विदेशों से मांग प्राप्त हुई है। इस वर्ष 500 विच. फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण किया गया है जिसमें कुछ मात्रा यूनाइटेड किंगडम, लंदन हेतु निर्यात किया जावेगा। इसके लिये रु.116.00 प्रति कि.ग्रा.

की दर प्राप्त हुई है। वर्तमान में वनधन विकास केन्द्र कोरिनभाठा, राजनांदगाँव से महुआ लड्डू, जूस, जैम, कुकीज़, आचार आदि तैयार कर “छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड” नाम पर विक्रय किया जा रहा है। वृहद् स्तर पर महुआ आधारित उत्पाद तैयार कर विक्रय करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

- 1.2.2 कोदो, कुटकी एवं रागी संग्रहण :-** राज्य शासन द्वारा पहली बार कोदो, कुटकी हेतु रु. 30.00 प्रति कि.ग्रा. एवं रागी हेतु रु. 33.77 प्रति कि.ग्रा. समर्थन मूल्य निर्धारित कर वर्ष 2021-22 में कुल 44,602.00 किंव. कोदो, 2,391.12 किंवंटल कुटकी एवं 5,735.52 किंवं. रागी, कुल 52,728.64 किंवं. संग्रहण किया गया है जिसका मूल्य राशि रु. 16.03 करोड़ है। इससे कुटकी का बाजार मूल्य रु. 33.00 से रु. 35.00 तक बढ़ गई है जो पिछले वर्ष में मात्र 25 से 26 है। आगामी वर्ष में समर्थन मूल्य के कारण किसान मिलेट क्षेत्र विस्तार करने हेतु जोर दिया जा रहा है जिससे आगामी वर्ष में मिलेट संग्रहण में भी वृद्धि होगी।
- 1.2.3 रैली कोसा संग्रहण-भंडारण :-** छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा रैली कोसा साबुत तथा रैली कोसा पोली के संग्रहण हेतु 03 ग्रेड के लिये संग्रहण दर निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संग्रहण-भंडारण किये गये रैली कोसा का विवरण निम्नानुसार है :-

रैली कोसा संग्रहण प्रगति

(दिनांक 30.11.2022 की स्थिति में)

क्र.	प्रकार	संग्रहण मात्रा (नग में)	संग्रहण मूल्य (रु. लाख में)
1.	रैली कोसा - साबुत	1665126	70.67
2.	रैली कोसा - पोली	290752	3.44

उपरोक्त रैली कोसा को उचित दर पर प्राप्त कर धागा तथा साड़ी आदि निर्माण करने हेतु रेशम विभाग द्वारा कार्यवाही किया जायेगा। इस हेतु रेशम विभाग तथा राज्य लघु वनोपज संघ के मध्य एमओयू किया गया है। इसके साथ ही जगदलपुर के नानगूर क्षेत्र के समीप रैली कोसा संग्रहण, प्रसंस्करण तथा भंडारण हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सिल्क बोर्ड को प्रेषित किया जाकर स्वीकृति ले ली गई है। उपरोक्त कार्य द्वारा बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों तथा चाँपा के बुनकरों को रैली कोसा प्रसंस्करण का लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वन विभाग तथा रेशम विभाग के सहयोग से भविष्य में बस्तर क्षेत्र में रैली कोसा के उत्पादन बढ़ाने हेतु भी प्रयास किया जायेगा।

लघु बनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वानिकी वर्ष 2022-23

क्र.	बनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति विवर्तल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	ष.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु. प्रति विवर्तल)
1	2	3	4	5	6
1	मालकांगनी बीज	-	10000.00	-	10000.00
2	बायबडिंग	-	9400.00	-	9400.00
	कालमेघ				
3	कालमेघ / भुई नीम (सूखा)	ग्रेड - 1 ग्रेड - 2	3500.00 -	-	3500.00 3150.00
4	आंवला (बीज रहित) (सूखा)	-	5200.00	रु. 500 प्रति विवं. की वृद्धि	5700.00
5	रंगीनी लाख (सूखा छिली लाख)	-	20000.00	रु. 2000 प्रति विवं. की वृद्धि	22000.00
6	रीटा फल (सूखा)	-	1400.00	-	1400.00
7	वन जीरा बीज	-	7000.00	रु. 700 प्रति विवं. की कमी	6300.00
8	सतावर जड़ (सूखा)	-	10700.00	-	10700.00
	चरौटा				
9	चरौटा बीज	ग्रेड - 1 ग्रेड - 2	1600.00 -	-	1600.00 1450.00
10	शहद	-	22500.00	-	22500.00
11	नागरमोथा (सूखा)	-	3000.00	-	3000.00
					1500.00
12	माहुल पत्ता	-	1500.00	-	
	हरा				
13	हरा (सावुत सूखा)	ग्रेड - 1 ग्रेड - 2	1500.00 -	-	1500.00 1350.00
14	हरा कचरिया		2500.00	-	2500.00
	बहेड़ा				
15	बहेड़ा (सावुत सूखा)	ग्रेड - 1 ग्रेड - 2	1700.00 -	-	1700.00 1530.00
16	बहेड़ा कचरिया	-	2000.00	-	2000.00

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति किलोटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु. प्रति किलोटल)
1	2	3	4	5	6
गिलोय					
17	गिलोय (सूखा)	ग्रेड - 1 ग्रेड - 2	4000.00 -	- -	4000.00 3600.00
18	कुसुमी लाख (सूखा छिली लाख)	-	27500.00	रु. 2500 प्रति किंवं. की वृद्धि	30000.00
19	वन तुलसी बीज	-	1600.00	रु. 150.00 प्रति किंवं. की कमी	1450.00
20	भेलवा	-	900.00	रु. 75.00 प्रति किंवं. की वृद्धि	975.00
21	शिकाकाई फल्ली (सूखा)	-	5000.00	-	5000.00
22	इमली				
	इमली आंटी (बीज सहित)	ग्रेड - 1 ग्रेड - 2	3600.00 -	- -	3600.00 3300.00
23	इमली फूल (बीज रहित)	-	6900.00	-	6900.00
24	इमली बीज	-	1100.00	-	1100.00
25	महुआ फूल (सूखा)	-	3000.00	-	3000.00
26	महुआ बीज	-	2900.00	-	2900.00
27	फूल झाड़ू		5000.00	-	5000.00
28	कौच बीज	-	2100.00	-	2100.00
धवई					
29	धवई फूल (सूखा)	ग्रेड - 1 ग्रेड - 2	3700.00 -	- -	3700.00 3350.00
30	चिरींजी				
	चिरींजी गुठली	ग्रेड - 1 ग्रेड - 2	12600.00 -	- -	12600.00 11500.00
31	करंज बीज		2200.00	रु. 200 प्रति किंवं. की वृद्धि	2400.00
32	बेल				
	बेलगुदा (सूखा)	ग्रेड - 1	3000.00	-	3000.00

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति किवंटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रु. प्रति किवंटल)
1	2	3	4	5	6
		ग्रेड - 2	-	-	2700.00
33	कुल्तू गोंद	-	12500.00	-	12500.00
34	काजू				
	काजू (गुटली)	ग्रेड - 1	9000.00	-	9000.00
		ग्रेड - 2	-	-	8100.00
35	सालबीज	ग्रेड - 1	2000.00	-	2000.00
		ग्रेड - 2	-	-	1800.00
36	कुमुम				
	कुमुम बीज	ग्रेड - 1	2300.00	-	2300.00
		ग्रेड - 2			2070.00
37	नीम बीज	-	2700.00	-	2700.00
38	जामुन				
	जामुन बीज (सूखा)	ग्रेड - 1	4200.00	-	4200.00
		ग्रेड - 2	-	-	3800.00

लघु वनोपज समर्थन मूल्य (SP) वानिकी वर्ष 2022-23

क्र.	प्रजाति	वनोपज का नाम	ग्रेड	स्वीकृत दर (रु. किवंटल में)
1	2	3	4	5
1	मालकांगनी	मालकांगनी फल कच्चा(लाल रंग)		1700.00
2	कालमेघ	कालमेघ / भूईनीम (कच्चा)		550.00
3	आंवला	आंवला फल (कच्चा)		2800.00
4	रंगीनी लाख	रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)		27500.00
5	हर्दा	हर्दा कच्चा		600.00

क्र.	प्रजाति	वनोपज का नाम	ग्रेड	स्वीकृत दर (रु. विंटल में)
1	2	3	4	5
6		हरी बाल		3000.00
7	बहेड़ा	बहेड़ा कच्चा		500.00
8	गिलोय	गिलोय (कच्चा)		550.00
9	कुसुमी लाख	कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)		55000.00
10	महुआ	महुआ फूल कच्चा (फूड ग्रेड)		1000.00
11	झाडू	झाडू कांटा (धास)		2500.00
12		झाडू छिंद (धास)		1500.00
13	बेल	बेल फल (कच्चा)		1000.00
14	जामुन	जामुन फल (कच्चा)		2300.00
15	रैली कोसा	रैली कोसा (साबुत) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-1	420.00
		रैली कोसा (साबुत) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-2	360.00
		रैली कोसा (साबुत) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-3	280.00
		रैली कोसा (पोली) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-1	150.00
		रैली कोसा (पोली) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-2	125.00
		रैली कोसा (पोली) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-3	70.00
16	सर्वई	सर्वई धास		1500.00
17	कोदो	कोदो		3000.00
18	कुटकी	कुटकी (काला)		3100.00
		कुटकी (भूरा)		3100.00
19	राणी	राणी		3578.00
20	पाताल कुम्हड़ा	पाताल कुम्हड़ा कंद (सूखा)		2000.00
21	सफेद मुसली	सफेद मुसली कंद (सूखा)		65000.00
22	तीखुर	तीखुर कंद (कच्चा)		1700.00
23	अश्वगंधा	अश्वगंधा जड़ (सूखा)		18000.00
24	कोरिया	कोरिया बीज (इन्द्र जौ) (सूखा)		5000.00
25		कुटज छाल (सूखा)		1200.00
26	पलाश	पलाश फूल (सूखा)		1150.00
27	आम	अमचूर सफेद	ग्रेड-1	12000.00
		अमचूर भूरा	ग्रेड-2	8000.00

1.3 लघु वनोपज प्रसंस्करण : लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वनधन विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। स्थापित वनधन विकास केन्द्रों में लघु वनोपज का प्राथमिक प्रसंस्करण तथा प्रसंस्करण कार्य किया जाता है।

बनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत लगभग 17,424 महिला स्व सहायता समूह लाभान्वित हो रहे हैं।

बनधन विकास केन्द्रों के माध्यम से लगभग 145 उत्पादों का निर्माण छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड के तहत किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद निर्माण के लिये चयनित समूह पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित है एवं हर्बल उत्पाद निर्माण नवीनतम तकनीक का उपयोग कर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा रु. 8.02 करोड़ का उत्पादन किया जा चुका है।

1.3.1 लैब स्थापना :- लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण व परीक्षण हेतु लैब की स्थापना 05 स्थानों में वृत्त स्तर पर की गयी है: अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, कांकेर एवं जगदलपुर।

1.4 लघु वनोपज विपणन :

1.4.1 कच्चे लघु वनोपज :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संयुक्ति लघु वनोपज को ई-निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है तथा लघु वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। साथ ही वर्ष 2021-22 में राशि रु. 44.30 करोड़ मूल्य के लघु वनोपज विक्रय किया गया है। वर्ष 2022-23 में कुल राशि रु. 75.00 करोड़ लघु वनोपज विपणन से प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

1.4.2 हर्बल उत्पाद विपणन :- बनधन विकास केन्द्रों में उत्पादित विभिन्न प्रकार के हर्बल उत्पाद रीटेल विक्रय हेतु 06 NWFP मार्ट तथा 30 संजीवनी विक्रय केन्द्र स्थापित हैं। “छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड” के नाम पर इन उत्पादों को विक्रय किया जाता है। रीटेल विक्रय में वृद्धि हेतु डिस्ट्रिब्यूटर नियुक्ति की कार्यवाही जारी है। वर्ष 2021-22 में राशि रु. 6.38 करोड़ मूल्य के उत्पाद विक्रय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रु. 10.00 करोड़ विक्रय का लक्ष्य है। संजीवनी के अतिरिक्त निजी दुकानों एवं अमेज़न, फिलपकार्ट, जैसे ई-प्लेटफॉर्म में भी उत्पाद विक्रय हेतु उपलब्ध है। बनधन विकास केन्द्रों से निर्मित उत्पादों के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जिले में विभागों एवं समूहों के माध्यम से उत्पादित 94 प्रकार के उत्पादों का विक्रय भी डिस्ट्रिब्यूटर के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लघु वनोपज आधारित वस्तुओं का विक्रय किये जाने हेतु सम्मानित क्रेताओं को Expression of Interest के माध्यम से चिन्हांकित कर Empanelled किया गया है, जिस हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर निविदा आमंत्रित की गई थी जिसके तहत 04 एजेंसी से अनुबंध किया जा रहा है।

लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की संधिक्षण प्रगति निम्नानुसार है:-

लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन प्रगति वर्ष 2022-23

(दिनांक 30.11.2022 की स्थिति में)

क्र.	क्रय का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2022-23 हेतु)	विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में	वित्तीय वर्ष 2022-23 में (दिनांक 30.11.2022 तक)	लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति प्रतिशत	
					माह में (%)	कुल प्रगति (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	संग्रहित लघु वनोपज प्रजाति संख्या	65	57	46	0.00	70.77
2.	वनधन विकास केन्द्र संख्या	139	139	139	0.00	100.00
3.	लघु वनोपज संग्रहण (मूल्य रु. करोड़ में)	175	119.92	51.14	0.08	29.22
4.	लघु वनोपज विपणन (मूल्य रु. करोड़ में)	75	46.73	31.18	4.80	41.57
5.	प्रसंस्कृत उत्पाद विपणन (मूल्य रु. करोड़ में)	10	6.38	2.94	7.40	29.40

1.5 लाख पालन (मद क्र. 35) - छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अपार सम्भावना है। छ.ग. राज्य में वर्तमान में लगभग 4,000 मी. टन लाख उत्पादन, जिसका मूल्य रु. 100.00 करोड़ होता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिला जैसे- कोरबा, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, गरियाबंद, कांकेर, धरमजयगढ़, जशपुर, सूरजपुर एवं जगदलपुर आदि कुल 18 जिलों में लाख पालन की खेती प्रमुखतः से किया जाता है। छ.ग. शासन द्वारा देश में पहली बार लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु “लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना वर्ष 2021” लागू किया गया है।

इस योजनात्मक लाख पालक कृषकों को लाख पालन हेतु निःशुल्क ब्याज दर पर सहकारी बैंक (अपेक्ष स्टेट बैंक) के माध्यम से ऋण वितरण कर लाख पालन की खेती को बढ़ावा जायेगा जिससे प्रत्येक कृषक को राशि रु. 50,000/- राशि स्व सहायता समूहों को राशि रु. 50,000/- से रु. 2.00 लाख निःशुल्क ब्याज पर ऋण राशि स्वीकृत किया जायेगा। इससे राज्य के लगभग 50,000 किसान परिवारों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी।

लाख उत्पाद क्लस्टर चिन्हांकित कर फसल ऋण प्रदान करने हेतु वन धन मित्रों के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। बीहन लाख प्रदाय करने हेतु निविदा जारी की गई तथा कृषकों को मांग अनुसार राशि जमा करने की कार्यवाही जारी है।

- 1.6 उद्यमिता विकास (मद क्र. 53)-** राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य में लघु वनोपज आधारित नवीन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान किया गया है। उक्त उद्योग को बढ़ावा देने हेतु संघ में Entrepreneurship Development Cell स्थापित करने हेतु कार्यवाही जारी है।

1.6.1 लघु वनोपज प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को बढ़ावा :- जिला गरियाबंद के देवभोग में PMFME के अंतर्गत इन्व्यूबेशन सेंटर एवं ग्रामीण फूड पार्क की स्थापना की जा रही है जिसमें विभिन्न प्रकार के वनोपज एवं कृषि उपज आधारित प्रसंस्करण उद्योग जैसे- लाख, दाल, मसाला, चिरींजी, खाद्य तेल (फली तेल) एवं तैलीय बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किये जायेगे। उपरोक्त प्रसंस्करण को ग्रामीण स्तर, औद्योगिक क्षेत्र में विकसित कर आवश्यक सहयोग/अनुदान दिया जावेगा। इस हेतु उपरोक्त 07 प्रसंस्करण इकाई एक ही परिसर में स्थापित किये जायेंगे जिसकी लागत राशि रु. 7.50 करोड़ है। जिसमें PMFME One District One Product के तहत राशि रु. 5.50 करोड़ लागत का प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, इसकी स्वीकृति अपेक्षित है एवं RIPA (ग्रामीण औद्योगिक पार्क) के तहत राशि रु. 2.00 करोड़ प्रस्तावित है। इसी प्रकार कवर्धा जिले में कोदो, कुटकी तथा वनोपज आधारित मिनी फुड पार्क स्थापित करने हेतु प्रयास किया जावेगा।

- 1.7 केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना :-** लघु वनोपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने तथा संग्राहकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्य ग्राम जामगाँव (एम.), विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग में किया जा रहा है, जिसमें छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयुर्वेदिक इकाई की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। इसमें निजी निवेशकों को भी लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिये आधारभूत अधोसंरचनाएँ जैसे- वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

- 1.8 लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु निजी निवेशकों के माध्यम से उद्योगों की स्थापना :-**

राज्य में उत्पादित होने वाले लघु वनोपजों को राज्य में ही प्रसंस्कृत कर इनका मूल्य संवर्धन किये जाने के लिये वनांचल अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा निजी निवेशकों के मध्य कुल 04 एमओयू का निष्पादन किया गया है। यह एमओयू, विराज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के साथ महुआ फूल प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना हेतु अवनी आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के साथ मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु, बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बस्तर के साथ महुआ डिस्ट्रिलेशन

प्लाट स्थापना हेतु तथा कोसर एंग्री प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ इमली प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना हेतु किया गया है।

उपरोक्त 04 इकाईयों की स्थापना के लिये किये गये एमओयू की लागत कुल रु. 38.64 करोड़ है तथा इस प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना से बस्तर में उत्पादित होने वाले लघु वनोपज जैसे इमली, महुआ एवं कोदो, कुटकी का प्रसंस्करण राज्य में ही किया जावेगा। वर्तमान में कोदो, कुटकी एवं रागी के उत्पादों का प्रसंस्करण प्रारंभ हो चुका है। साथ ही इसका विक्रय “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्राण्ड अंतर्गत भी किया जा रहा है। इस प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा इमली, महुआ एवं कोदो, कुटकी के संग्राहकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

1.9 अधोसंरचना विकास (मद क्र. 60.11) - राज्य में लघु वनोपज भंडारण हेतु विभिन्न स्थानों पर गोदाम तथा अन्य अधोसंरचना निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त अधोसंरचना हेतु विभिन्न योजनाओं के साथ संघ योजनाओं का लाभ लिया जावेगा। इस संबंध में प्राक्कलन तैयारी कार्य जारी है।

1.10 'C'-मार्ट स्थापना संबंधी प्रगति :-

1.10.1 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकरों अथवा अन्य पारम्परिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, इसकी व्यवसायिक ढंग से मार्केटिंग किये जाने तथा उत्पादक समूहों को अधिकतम लाभ प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'C'-मार्ट योजना आरम्भ की गई है।

1.10.2 छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है जिसमें प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ ही जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसके तहत बन-मण्डलाधिकारी सह प्रबंध संचालक जिला यूनियन को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

1.10.3 राज्य में 05 राज्य स्तरीय सी-मार्ट आउटलेट की स्थापना रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में की जानी है। राज्य स्तरीय सी-मार्ट दुर्ग एवं जगदलपुर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा क्रमशः दिनांक 27.08.2022 एवं 07.10.2022 को किया गया है। राज्य स्तरीय सी-मार्ट बिलासपुर एवं सरगुजा का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा क्रमशः दिनांक 02.12.2022 को किया गया है। रायपुर सी-मार्ट का कार्य प्रगति पर है।

1.10.4 राज्य स्तरीय सी-मार्ट अंतर्गत कुल 80 स्व-सहायता समूह लाभान्वित हैं। समूहों से राज्य स्तरीय सी-मार्ट, एम.ओ.यू. किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्घ महासंघ, माटीकला बोर्ड, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी ग्राम उद्योग के उत्पाद शामिल हैं। राज्य स्तरीय सी मार्ट से 800 से भी अधिक शासकीय उत्पादों की विक्री की जा रही है।

1.11 लघु वनोपज संघ को वर्ष 2022-23 में प्राप्त पुरस्कार -

1.11.1 छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किये जा रहे लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदाय किया गया है। इसके साथ ही वन धन विकास केन्द्र बकावाण्ड, जिला यूनियन जगदलपुर को काजू प्रसंस्करण हेतु, वन धन विकास केन्द्र ढोंगानाला, जिला यूनियन कटघोरा को औषधीय प्रसंस्करण हेतु ESG GRIT Award सिंगापुर में प्रदाय किया गया है। इसके तहत श्री संजय शुक्ला, प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ के साथ उपरोक्त वन धन विकास केन्द्र के प्रभारी समूह सदस्य सिंगापुर में अवार्ड प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया है।

1.11.2 राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गये मिलेट (कोदो, कुटकी तथा राणी) संग्रहण कार्य हेतु Indian Institute of Millet Research, Hyderabad द्वारा Best Emerging State for Millet Promotion Award से सम्मानित किया गया है।

---000---

परिशिष्ट-क

**छत्तीसगढ़ राज्य लघु बनोपज (व्यापार एं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के स्वीकृत, कार्यरत एं रिक्त पदों
का विवरण 09.09.2022 की स्थिति में**

अ.क.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एं पदेन महा प्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.स.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
4	उप महा प्रबंधक (उप वनसंरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त चंगीवक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप संचालक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रणाली विश्लेषक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	उप प्रबंधक (स.व.स.)	2	2	0	6	6	0	30	24	6	38	32	6
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेश्वण)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11	स्टाफ ऑफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक/निक सचिव	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रेशामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	वन थेट्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	10	0	11	10	1
17	उप वन थेट्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	177	3	180	177	3
18	सहायक प्रैशामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	कर सहायक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
20	आंतरिक अंकेश्वण	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
23	लेखा अधीक्षक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
24	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	लेखाधिकारी	4	2	2	6	6	0	27	19	8	37	27	10
26	कालिष्ट लेखाधिकारी	7	5	2	0	0	0	21	21	0	28	26	2
27	डाट एन्ड्री ऑपरेटर	7	9	-2	6	7	-1	31	25	6	44	41	3
28	आद्युत्रेर विकित्सक (सचिव)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता	21	12	9	6	6	0	61	29	32	88	47	41
31	वाहन चालक	12	11	1	4	3	1	18	10	8	34	24	10
32	दस्ती	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	सदैशावाङ्क	16	9	7	12	8	4	48	25	23	76	42	34
34	चौकीपार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग:-	108	83	25	40	36	4	426	340	86	574	459	115

- टीप:- 1. उपरोक्त के अधिकारी संघ में सदैशावाङ्क (संवैधानिक) पद में 30 एवं सदैशावाङ्क विभाग से प्रतिनियुक्त 12/ 02 अंकेश्वण आवेकारी कार्यरत है।
 2. अनुबंधों 09 में दर्शित पद हेतु 24 सीढ़िया अधिकारी, अनुबंधों 16 में दर्शित पद हेतु 07 सीढ़िया अधिकारी, अनुबंधों 22 में दर्शित पद हेतु 01, अनुबंधों 30 में दर्शित पद हेतु 01 कर्मचारी लैंबिया पर व्यवस्था है।


संयुक्त पंजीयक एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु बनोपज संघ नवा रायपुर

संग्रहण वर्ष : 2020

जिला यूनियनवार अधिकार में विकित एवं विमाणीय गोदामीकूट निकित लाटो का विवरण (वास्तविक संबहण अनुसार)

क्रमांक १६२ - ८५

जिला पूर्विक वार का नाम	कूल लाटो की संख्या	लाटो की संख्या जिनमें पर्याप्त तुका है	कूल संभवित प्राप्ति	कूल भवित्व प्राप्ति	विकित लाटो की संख्या	(विकित लाटो में विकित लाटो की संख्या (प्राप्ति भाग के बारे में))	विकित मुल विकित दर (प्रति वारक बोर)	विकित लाटो का विवरण	अधिकार लाटो का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विकार	45	36	81998.838	81998.838	36	81998.838	404207849.79	4929.43	---
झुम्हा	48	36	41447.170	41330.000	5	7141.707	22912650.56	3208.29	34188.293
दत्तेश्वर	11	9	3611.458	3611.458	3	1675.402	5262471.43	3141.002	6 1935.756
लम्बकल्पु	15	15	11778.387	11653.792	3	3258.555	9141721.38	2805.28	12 8395.037
दलिङ कोटापांडी	11	11	11366.582	11365.482	1	560.440	18881122.36	3369.00	9 9844.872
नेवाकोल	16	16	16654.780	16181.269	6	6320.435	23090317.89	3653.28	10 9860.834
नारायणपुर	12	12	12705.570	12666.679	3	2859.269	94510881.65	3305.42	9 9807.410
पूर्व फान्दुलापुर	56	56	82126.315	82121.135	55	61348.845	458211076.32	5632.67	1 772.290
पालचम भासुलापुर	55	55	67707.160	67707.160	41	60243.310	300083839.49	4950.70	14 7463.850
कंकार	24	24	28643.105	28638.310	22	28270.015	1566342.15.87	5510.665	2 368.295
रामनांदशांक	51	51	59515.330	59508.695	46	57901.885	309442636.99	5336.06	5 1517.840
संगाड़	24	24	28409.435	28408.750	19	13583.515	86813170.91	3681.94	5 4822.235
वारोल	18	18	16298.540	16297.180	17	15672.695	78048259.87	4979.89	1 624.485
कंकरा	24	24	20304.090	20282.655	7	9932.880	38590095.54	3885.49	17 10149.775
कपरी	23	23	19013.395	19003.860	19	1694.490	89997413.11	5305.05	4 2039.370
गोथिकल	62	62	58435.640	58371.190	56	55812.000	329457468.26	5902.99	6 2559.190
घटनाथ	69	69	51857.170	51844.020	56	44663.170	237767122.04	5323.56	13 7180.850
बलीवा चानार	16	16	13641.560	13641.560	12	11387.165	62793109.87	5514.38	4 2254.195
बिलासपुर	21	21	14020.380	14020.380	15	12632.005	691010417.34	4621.68	6 1387.775
सरवाही	14	14	11526.948	11393.448	7	8218.647	44788747.54	5449.65	7 3174.801
जांजीर-चापा	7	7	3445.030	3445.030	1	819.800	3130816.20	3819.00	6 2625.230
रामगढ़	41	41	26980.355	26956.426	29	22709.530	113006009.80	4976.15	12 4216.896
धरमगंगापाठ	53	53	54288.145	54281.852	52	53976.565	315163270.94	5844.45	1 308.287
कोटरा	34	34	33450.290	33459.290	30	32289.050	195527915.18	6045.55	4 1170.240
कटोरा	39	37	36424.130	36424.130	27	32965.590	196206218.99	5951.85	1B 3458.540
असुर नगर	20	20	15309.805	15069.851	4	3363.550	14366762.97	4271.56	16 11696.501
घोटालाप	20	20	2832.370	28306.315	13	19458.395	91569766.63	4705.93	7 5847.920
कोटिया	16	16	21145.585	21148.190	12	17420.845	84394692.29	4844.47	4 3719.375
सरयुगा	15	15	19071.625	18972.648	8	12827.790	62357694.92	4861.14	7 6144.858
									18613581.00 3029.13 0

विवरण का नाम	पूर्ण लाई की संख्या	लाई की रक्षा गर्ने गाउँ की संख्या (प्राचक बोयामा पर सम्पर्क कुमा)	कुल संग्रहित मात्रा (प्राचक बोयामा पर सम्पर्क कुमा)	अधिक मै विकेत लाई का विवरण	विवरण विविध विविध विविध लाई का विवरण			अनेकित लाई का विवरण
					लाई की अधिक मै विकेत लाई में संख्या	विकास दर लाई की संख्या (प्रति वर्ष लाई में संख्या)	विकास विकास दर लाई की संख्या (प्रति वर्ष लाई में संख्या)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कलापात्र	64	64	49890.485	49431.446	12	16849.570	65829344.63	4073.06
प्रदेश	30	29	36393.585	36345.419	17	28492.335	135715133.90	4762.87
कुल बोया	954	928	972798.058	970834.958	634	771707.828	404098195664.46	5196.06
								293
								198166.960
								692452127.00
								349429
								0
								0.000

नोट:- दसिया कोणागांव डिस्ट्रिक्ट की कोषधार समिति, लाई कमांड 89 की मात्रा 960.170 मानक लोरा अग्नि से जलाने गए हैं।

विवरण विविध विविध लाई का विवरण
प्रति वर्ष लाई में संख्या (प्रति वर्ष लाई में संख्या)
मात्रा (प्रति वर्ष लोरा)

प्रिला दूरनियनवार अधिकार में विभिन्न एवं विभिन्न गोदामीकृत विभिन्न लाई का विवरण (वारसाविक संचालन अनुसार)

संचालन वर्ष : 2021

लिंगा/ वृक्षियन का नाम	कुल संख्या की	कुल संख्या लाई की	कुल प्रधारित मत्रा (गानक बोरा में)	ब्रह्मिम् ऐ विक्रित लाई का विवरण	विभागीय गोदामीकृत लिंगा/ लाई का विवरण			वारसाविक लाई का विवरण	
					लाई की विभिन्न गुणवत्ता	ब्रह्मिम् ऐ विक्रित लाई की विभिन्न गुणवत्ता	विक्रित मात्रा (प्रति मानक बोरा)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बैंगापुर	45	45	75395.128	75395.128	45	75395.128	450012311.62	7174.63	—
कुम्हा	48	48	75913.029	75892.139	35	58281.015	310501797.50	5813.79	10
देवघासा	11	11	10394.798	10394.798	6	7405.801	39818648.86	5375.33	4
जगदरथपुर	15	15	14801.794	14776.452	2	3686.650	17163271.75	5095.00	4
दोषिण कोटिगांव	11	11	12445.616	12131.776	0	0.000	0.000	—	1
केङ्गाबल	16	16	21106.965	20753.296	4	6434.820	38686367.41	6012.04	6
नारायणपुर	12	12	15322.190	15288.250	7	7911.840	43660613.68	5518.41	1
पूर्व भासुतपाथपुर	56	56	91335.340	91335.340	66	91335.340	685173012.32	7501.73	—
परिष्वक्ष माल्हुआपापुर	55	55	74913.840	74903.840	44	67790.900	462024578.97	6815.43	9
कोडेर	24	24	34364.344	34356.305	22	33856.080	239014911.86	7059.44	2
राजनवागापाथ	51	51	65589.064	65589.064	44	62055.510	416930190.73	7202.10	7
झीलापुर	24	24	34697.655	34697.635	21	31254.240	174019314.62	5568.50	3
बांसोद	18	18	210383.240	20382.955	17	19633.250	128018009.39	6820.47	1
कवनपां	24	24	38615.345	37987.070	15	28967.185	158326197.47	5465.71	9
झगतपां	23	23	22889.585	22889.345	22	22899.130	153913391.12	6811.03	1
गरियाखां	62	62	69890.104	69830.450	55	64667.640	4882255974.39	7519.77	7
महामसंद	69	69	74871.285	74869.885	64	71509.375	474690228.66	6629.81	8
बंतोला बाजार	16	16	210876.545	210876.535	13	18343.085	122842850.95	6696.96	3
विलापुर	21	21	29714.645	29714.645	20	29396.415	179877258.42	6121.10	1
पारावानी	14	14	19439.968	19439.968	13	19131.803	116861357.66	6105.09	1
जानगां-चांपा	7	7	3763.065	3611.165	1	854.170	4398121.33	5149.00	3
रामगढ़	41	41	44702.320	44672.945	44	40651.930	248076871.68	6116.00	7
प्रत्यनगढ़	53	53	70157.215	53	70157.215	518898378.47	7396.22	—	—
कोइला	34	34	42989.872	42989.872	31	41471.822	316316436.92	7627.26	3
कटपेंगा	39	39	65932.020	65932.020	35	63126.770	417433970.47	7054.34	3
जवापुर नगर	20	20	23297.586	23084.323	14	16800.070	99621681.25	5898.24	6
मोनेचगढ़	20	20	32003.265	32003.045	19	31310.165	1889106353.06	6007.84	1
कोरिया	16	16	26996.190	26995.450	15	20073.960	126359539.24	6296.69	1
सरगुला	15	15	30645.130	30592.447	14	29816.182	173173370.24	5802.21	1

विवाह गृहनिधि का नम्बर	विवाह गृहनिधि का नम्बर	पांडे की संख्या	पांडे की वारा (नानक वोरा में)	कुल समाजिक माला (नानक वोरा में)	कुल भागदासिका	जीवित वर्षमें [विवेतन लाई का विवाह]	विवाह गृहनिधि विवेतन लाई का विवाह		
							ताटों की संख्या	ताटों की अधिकारी संख्या (पांडे की संख्या मात्रा में)	विवाह भूमि (प्रति पालक बोरा) में विवित ताटों में संख्या (पालक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वाहराधार	64	64	90225.700	90184.428	33	49284.790	2,593,78714.79	5242.86	11
दुर्दश्य	30	30	58206.710	58180.850	23	52964.480	320617885.44	6053.45	7
कुल योग	954	954	13655016.591	1363798.616	775	136258.721	7553131667.070	6647.37	106
									2351.87
									205828295.000
									2351.87
									72
									79404.240

नोट:- नदयमण्डु जिला पूर्वियन की कठसावधि समिति, लौट कमांड 112अ की शापा 10748.660 मालक वै(1) अंगी से यात्रकर नहीं गया है।

प्रति पालक
विवाह भूमि

प्रति पालक
विवाह भूमि

जिला यूनियनवार आधिम में विक्रित एवं विचारिय गोदामीकृत विक्रित लाठों का विवरण (वास्तविक संशोधन अनुसार)

समाझौता नंबर : 2022

जिला यूनियन का समाझौता नाम	फुल लाठों की संख्या	लाठों की संख्या पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा [प्राप्ति लागत में]	फुल प्राप्तिरित गता (प्राप्ति लागत में)	आधिम में विक्रित लाठों का विवरण		विवरण गोदामीकृत विक्रित लाठों का विवरण	वानिकृत लाठों का विवरण
					विक्रित लाठों की संख्या पर संग्रहण हुआ है	विक्रित लाठों की संख्या में भागदारित मात्रा (प्राप्ति लागत में)	विक्रित लाठों की संख्या [प्राप्ति लागत में]	विक्रित लाठों की संख्या संख्या [प्राप्ति लागत में]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नीलगढ़	45	45	80938.356	80938.356	45	80938.356	7330677907.25	91657.11
रुद्रगढ़	51	50	101902.824	101902.824	27	50608.407	336894048.11	6015.11
देवतगढ़ा	11	11	19694.273	19694.273	9	16781.250	985631628.47	5873.79
जगदलपुर	15	15	16212.910	16212.910	6	8446.465	34615886.34	4098.27
दारिंग कोइरागढ़	11	11	17344.192	17344.192	7	11612.835	539111910.58	4630.48
केशकाल	16	16	26075.645	26075.645	15	24876.270	126348179.91	5079.06
नारायणपुर	12	12	24030.685	24030.685	12	24030.885	144154914.85	5998.74
पूर्व आमुलपुर	56	56	97326.265	97326.265	56	97326.265	876517446.06	9005.97
परिषेम छान्दोलपुर	35	55	79799.065	79799.065	51	77207.430	599157598.05	7760.36
कोटेर	24	24	37049.055	37049.055	23	36384.055	3005747625.78	82365.92
राजनाथपुर	51	51	73257.435	73257.435	49	71831.200	591722315.74	9237.68
झेरापुर	24	24	37058.815	37058.815	23	35590.935	522530844.47	6528.43
बहादुर	18	18	22742.725	22742.725	19	22742.725	1757248104.40	7705.68
कार्यालय	24	24	41760.270	41760.270	23	40616.600	2601747925.00	6419.74
घमतारी	23	23	25666.480	25666.480	21	23921.725	193028253.23	8069.16
गरिमांचल	62	62	82601.770	82605.640	59	81675.445	7012694949.28	8702.93
महामयपुर	69	69	81596.215	81596.215	69	83506.215	654384908.64	7827.93
बर्हेला बाजार	16	16	22319.650	22319.650	13	19601.440	159859373.86	8155.49
बिलासपुर	21	21	30175.260	30175.260	19	29109.535	210849719.91	7243.32
मरवाड़ी	14	14	22004.492	22004.492	13	21494.475	153573572.17	7148.12
लानी(र-नाली)	7	7	8099.095	8099.095	4	5798.745	26459947.39	4563.05
रायगढ़	41	41	55223.195	55223.195	41	55223.195	3868654066.56	7005.48
सुरामगढ़	53	53	82508.320	82508.320	53	82508.320	710528952.04	8611.60
किराता	34	34	52777.360	52777.360	33	52228.600	454647921.92	548.760
कट्टोरा	39	39	73949.815	73949.815	36	72070.895	611313201.22	8482.11
जगपुर लाल	20	20	33253.283	33253.283	16	25167.450	155772169.53	6180.43
मोन्हाल	20	20	44917.395	44917.395	18	40229.175	251731431.79	6257.43
								4688.220
								22590304.00
								4884.65
								0.000

निवास घरों का नाम	कुल लाटौं की कोटि संख्या	लाटौं की कोटि संख्या जहाँ पर संधारण हुआ है	कुल संधारित मत्रा [पालक बोया में]	कुल अवश्यित मत्रा [पालक बोया में]	अधिक से विकित लाटौं का विवरण	विवरण गोपनीयता विकित लाटौं का विवरण	विवरण गोपनीयता विकित लाटौं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
कोरिया	16	16	34765.550	34763.0400	15	33510.310	237437528.95
सदरुगा	15	15	26366.415	26331.4020	12	30106.115	2087465310.05
बहरामपुर	64	64	144394.690	144365.916	31	83206.290	417232361.82
मूर्दगुरु	30	30	74215.644	74167.119	20	60320.955	389276637.35
फुल चैपा	956	956	1581207.324	1581240.285	837	1403179.163	10487854735.32

प्रधान सचिवालय
द्वारा गठित वर्ष, गणराज्य

परिशिष्ट- दु.

प्रोत्साहन पारिश्रमिक 2019 के तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक हेतु वितरण की प्रगति

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वितरण योग्य प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि	कुल वितरित राशि	वितरण हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5
1	बीजापुर	4,75,75,960.00	4,70,75,072.00	5,00,888.00
2	सुकमा	3,23,23,699.00	3,15,54,437.00	7,69,262.00
3	दक्षिण कोडागांव	44,00,734.00	43,91,469.00	9,265.00
4	केशकाल	15,01,793.00	14,88,454.00	13,339.00
5	नारायणपुर	33,67,665.00	33,56,413.00	11,252.00
6	पूर्व भानुप्रतापपुर	5,78,14,189.00	5,66,49,236.00	11,64,953.00
7	प. भानुप्रतापपुर	1,87,28,542.00	1,87,26,821.00	1,721.00
8	कांकेर	2,59,68,123.00	2,59,68,123.00	-
9	राजनांदगांव	4,96,47,072.00	4,96,47,072.00	-
10	खैरागढ़	38,92,212.00	38,92,212.00	-
11	बालोद	1,29,34,970.00	1,29,34,970.00	-
12	कवर्धा	76,41,544.00	76,35,563.00	5,981.00
13	धनतरी	1,40,22,172.00	1,40,22,172.00	-
14	गरिबावंद	6,41,82,112.00	6,41,82,112.00	-
15	महासमुद्र	3,70,70,486.00	3,70,70,486.00	-
16	बलौदाबाजार	80,68,284.00	80,68,284.00	-
17	बिलासपुर	69,24,099.00	69,24,099.00	-
18	मरवाड़ी	85,72,279.00	83,61,041.00	2,11,238.00
19	रायगढ़	1,95,40,348.00	1,94,53,895.00	86,453.00
20	धरमजयगढ़	6,68,04,073.00	6,62,27,009.00	5,77,064.00
21	कोरबा	6,30,78,888.00	6,30,78,888.00	-
22	कटशोरा	5,80,93,354.00	5,80,93,354.00	-
23	जशपुरनगर	19,27,098.00	19,27,098.00	-
24	मनेन्द्रगढ़	1,74,37,180.00	1,73,64,069.00	73,111.00
25	केरिया	2,38,64,938.00	2,37,22,904.00	1,42,034.00
26	सरसुजा	1,36,34,520.00	1,33,61,681.00	2,72,839.00
27	बलगानपुर	2,35,69,794.00	2,28,88,412.00	6,81,382.00
28	सूरजपुर	1,39,84,967.00	1,39,84,967.00	-
	योग	70,65,71,095.00	70,20,50,313.00	45,20,782.00

प्रबंधक (लाखा)
छ.ग राज्य लघु बोगेज संघ, रायपुर

विषय क्रमांक - 3

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।

(i) बीमा योजनायें:-

- **शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना:-** तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति / उत्तराधिकारी को राशि रु.2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु.2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जा रहा है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तृता की स्थिति में राशि रु.2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तृता की स्थिति में राशि रु.1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।
- **तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु.30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु.75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तृता की स्थिति में रु.75,000/- तथा आंशिक निःशक्तृता की स्थिति में रु.37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदाय करने का प्रावधान है।**
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा। वर्ष 2023-24 में इस हेतु योजना राशि रूपये 45.00 करोड़ का व्यय संभावित है।
- **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ संचालित)** - वर्ष 2020-21 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दोवेदार) को रूपये 12,000/- भुगतान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु राशि रूपये 2.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

- **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों समूह बीमा:-** प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए बीमा कराया गया है। वर्ष 2022-23 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 783 है, जिसका प्रीमियम भुगतान 8.28 लाख किया गया है। वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु राशि रु.10.00 लाख व्यय संभावित है।
- **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फॅडमुंशीयों का समूह बीमा:-** प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फॅडमुंशीयों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए बीमा कराया गया है। वर्ष 2022-23 में बीमित फॅडमुंशीयों की संख्या 9978 है, जिसका प्रीमियम भुगतान 47.43 लाख किया गया है। वर्ष 2023-24 में इस योजना हेतु राशि रु. 55.00 लाख व्यय संभावित है।
- **संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं-** तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना हेतु राशि रु.13.00 करोड़ व्यय संभावित है।

(ii) राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

तेन्दू पत्ता - वर्ष 2023-24 में भी विगत वर्ष की भाँति तेन्दू पत्ता का संग्रहण एवं विक्रय व्यापार प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से संचालित की जावेगी। अनुमानित संग्रहण लक्ष्य 16.72 लाख मानक बोरा है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022 एवं पूर्व के वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2023 में कुल 954 लाटों में लगभग 16.72 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी। तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रु. 669 करोड़ के संग्रहण परिश्रमिक के वितरण का अनुमान है।

(iii) वर्ष 2020 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन परिश्रमिक का वितरण

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2020 के तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि में से शासन से अनुमोदन उपरांत लगभग राशि रूपये 34.49 करोड़ का तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन परिश्रमिक का वितरण का कार्य दिनांक 17.06.2022 से प्रारंभ किया गया है। जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा।

(iv) अकार्षीय वनोपज विकास - वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित क्रियाकलाप

1. लघु वनोपज संग्रहण -

1.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (मद क्र. 7) -

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है। इस योजनांतर्गत लघु वनोपज व्यापार हेतु वर्ष 2014-15 से अभी-तक रु. 204. 91 करोड़ राशि संघ को प्राप्त हुई है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

योजना के प्रारंभ में 7 प्रकार के लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान वर्ष 2022-23 में 38 प्रकार के वनोपज को क्रय करने हेतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त हुई है। इस योजना अंतर्गत जनजातीय मंत्रालय, भारत शासन को अतिरिक्त अनुदान तथा व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के विरुद्ध राशि अप्राप्त है, जिसके कारण समर्थन मूल्य पर क्रय करने वाले वनोपज हेतु पर्याप्त कार्यपूंजी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण संग्रहण लक्ष्य तथा वर्ष 2022-23 बजट प्रस्ताव में कम करने हेतु प्रस्तावित की गई है। इसी के अनुरूप वर्ष 2023-24 बजट प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।

1.2 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद (अर्थात् तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश का 15 प्रतिशत राशि से) (मद क्र. 60)-

1.2.1 लघु वनोपज संग्रहण कार्य :- छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संग्रहकों को लाभ देने हेतु 38 प्रकार के लघु वनोपज को भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा 27 प्रकार के अन्य वनोपज को उचित दर पर इस तरह कुल 65 प्रकार के लघु वनोपज के क्रय हेतु व्यवस्था की गई है। वर्ष 2022-23 में इस मद के अंतर्गत क्रय किये जाने वाले लघु वनोपज की मात्रा जैसे कि मिलेट आदि अधिक होने के कारण वर्ष 2022-23 में संग्रहण हेतु आवश्यक राशि की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

1.2.2 रैली कोसा वेट रीलिंग यूनिट :- बस्तर क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रैली कोसा प्रसंस्करण हेतु जिला यूनियन जगदलपुर के नानगूर प्राथमिक समिति क्षेत्र में रैली कोसा वेट रीलिंग यूनिट केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई है। परियोजना के अंतर्गत राशि रु. 2.88 करोड़ भवन तथा मशीनरी हेतु स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य हेतु शेष 10 प्रतिशत राशि रु. 0.32 करोड़ संघ द्वारा बहन किया जायेगा। यह कार्य रेशम विभाग के सहयोग से क्रियान्वयन किया जायेगा। तदानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव में पुनरीक्षण प्रस्ताव किया गया है।

2. लघु वनोपज प्रसंस्करण -

2.1 प्रधानमंत्री वन-धन योजना (मद क्र. 8) - लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री वन-धन योजनांतर्गत प्रत्येक केंद्र के लिये रुपये 15.00 लाख अनुदान राशि भारत शासन से प्राप्त हुआ है। उक्त योजनांतर्गत स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण, उपकरण व्यवस्था, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु चक्षीय राशि का प्रावधान किया गया है।

संघ द्वारा संग्रहित वनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” नाम पर संजीवनी केन्द्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं। उक्त कार्य से लगभग 17424 महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं।

वनधन विकास केन्द्रों में नवीन उत्पादों के निर्माण हेतु तथा निर्मित किये जाने वाले उत्पादों के लिए उन्नत तकनीक के इस्तेमाल हेतु वर्ष 2022-23 में एक हैकाठॉन का आयोजन किया जावेगा एवं वनधन विकास केन्द्रों के समूहों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वन धन विकास केन्द्र द्वारा उत्पादित किये जाने वाले हर्बल उत्पाद हेतु आवश्यक राशि को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधान में कम की गई है तथा वर्ष 2023-24 हेतु शेष उपलब्ध राशि का प्रावधान किया गया है।

3. लघु वनोपज विपणन (मद क्र. 42 एवं 61) - न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से संग्रहित लघु वनोपज को ऑनलाइन निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है। राजकीय वनोपज व्यापार के अंतर्विभागीय समिति के निर्णय के अनुसार सीमित वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। संघ द्वारा स्थापित वन-धन विकास केंद्रों तथा प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से निर्मित हर्बल उत्पादों को रिटेल मार्केटिंग करने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर आदि द्वारा विक्रय किया जावेगा।

4. लाख पालन (मद क्र. 35) - राज्य के विभिन्न जिला जैसे- कोरबा, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, गरियाबंद, कांकेर, धरमजयगढ़, जशपुर, सूरजपुर एवं जगदलपुर आदि कुल 18 जिलों में लाख पालन की खेती प्रमुखतः से किया जाता है। छ.ग. शासन द्वारा देश में पहली बार लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु “लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना वर्ष 2021” लागू किया गया है। इस योजनांतर्गत लाख पालक कृषकों को लाख पालन हेतु निःशुल्क ब्याज दर पर सहकारी बैंक (अपेक्ष बैंक) के माध्यम से ऋण वितरण कर लाख पालन की खेती को बढ़ाया जायेगा जिससे प्रत्येक कृषक को राशि रु. 50,000/- राशि स्व सहायता समूहों को राशि रु. 50,000/- से रु. 2.00 लाख निःशुल्क ब्याज पर ऋण राशि स्वीकृत किया जायेगा। इससे राज्य के लगभग 50,000 किसान परिवारों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होगी।

लाख उत्पादन क्लस्टर चिन्हांकित कर कृषकों को लाख फसल ऋण प्रदान करने, बीहन लाख को उचित मूल्य पर प्रदाय करने तथा कृषकों को वैज्ञानिक लाख खेती के संबंध में प्रशिक्षण देने, आदि कार्य हेतु वन धन मित्रों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

5. वन धन मित्र भूमिका :- वन धन मित्रों को लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, हर्बल उत्पाद विपणन तथा लाख पालन कार्य में सहयोग हेतु हाट बाजार/वन धन केन्द्र स्तर पर चयन किया गया है। वन धन मित्र चयन हेतु स्थानीय स्तर पर 12वीं उत्तीर्ण तेन्दूपता संग्राहक परिवार सदस्य को चयन किया जायेगा। इन्हें प्रत्येक माह रु. 1,000/- मानदेव के साथ किये गये कार्य के अनुसार लघु वनोपज संबंधी विकास कार्य में सहयोग हेतु पफर्मेस बेस्ड इंसेन्टिव प्रदाय किया जायेगा। राज्य में लगभग 1,200 वन धन मित्रों को चयन कर उपरोक्त कार्य में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में यह युवा लघु वनोपज आदि कार्य में दक्ष होकर उद्यमी बनने में अवसर मिलेगा।

6. लघु वनोपज समूह केन्द्र संवर्धन एवं औषधि खेती (मद क्र. 31 एवं 60.2) - चयनित जिला यूनियनों में लघु वनोपज से समृद्ध 5000 हेक्ट. वन केन्द्र को लोक संरक्षित केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया जायेगा। उक्त केन्द्र में प्रत्येक वर्ष 1000 हेक्ट. आगामी 5 वर्ष तक उपचार किया जायेगा। इस प्रकार 20 जिला यूनियनों में 5000 हेक्ट. के मान से कुल 1 लाख हेक्ट. वन केन्द्र का संवर्धन किया जाना प्रस्तावित है। इस वनकेन्द्र के अंतर्गत विलुप्त कगार पर तथा अधिक मांग वाले वनोपज/औषधि प्रजातियों का एनरिचमेंट प्लाटिंग (Enrichment Planting) द्वारा वृहद रूप से रोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु नरेगा, कैम्पा, डी.एम.एफ आदि से लाभ लिया जा सकता है।

कृषि वानिकी द्वारा महत्वपूर्ण लघु वनोपज तथा औषधिय प्रजातियों को कलत्तर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे गैर वनकेन्द्र से भी पर्याप्त मात्रा में लघु वनोपज / औषधि का उत्पादन हो सके। इसके साथ उपरोक्त कार्य वन अधिकार पत्र प्राप्त कृषकों के इच्छुक होने की स्थिति में उपरोक्त योजना में सम्मिलित कर सकते हैं। यह कार्य लोक संरक्षित केन्द्र योजनांतर्गत संपादित किया जाना प्रस्तावित है।

7. अनुसंधान एवं विस्तार (मद क्रमांक 60.7) :-

7.1 प्राथमिक/द्वितीयक प्रसंस्करण को बढ़ावा :- CIPHET, Ludhiana से लघु वनोपज प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना, भंडारण केन्द्र संचालन एवं कीट नियंत्रण, फूड ग्रेड महुआ फूल तथा जामुन संग्रहण, प्रसंस्करण, इमली पैकेजिंग, दोना-पत्तल प्रसंस्करण, मशीनरी का उन्नयन, आदि कार्यों हेतु MoU किया गया है।

7.2 नए उत्पाद विकास :- IIT, Kanpur से हैकाथॉन आयोजन कर नए उत्पाद तथा नया प्रसंस्करण पद्धति विकास कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं, इससे नए उत्पाद विकसित करने हेतु कार्यवाही जारी है। IIT, BHU वाराणसी के सहयोग से कोसा तथा जामुन से हर्बल डाय तैयार करने हेतु अनुसंधान कार्य प्रस्तावित है।

7.3 गुणवत्ता लेबोरेटरी स्थापना एवं संचालन :- लघु वनोपज तथा हर्बल उत्पाद गुणवत्ता परीक्षण तथा कार्य में सुधार हेतु लघु वनोपज संघ द्वारा 05 स्थानों (रायपुर, कांकेर, जगदलपुर, विलासपुर तथा अम्बिकापुर) में लेबोरेटरी स्थापना कर उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण किया जा रहा है, जिससे लघु वनोपज/हर्बल उत्पाद गुणवत्ता में वृद्धि होकर उचित मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना है।

8. उद्यमिता विकास (मद क्र. 53) - राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत राज्य में लघु वनोपज आधारित नवीन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रावधान किया गया है। उक्त उद्योग को बढ़ावा देने हेतु संघ में Entrepreneurship Development Cell

स्थापित किये गये हैं। इसके द्वारा वन धन विकास केन्द्र के प्रभारी समूहों को नई परियोजना तैयार करने में सहयोग दिया जा रहा है।

इसके मार्गदर्शन में कॉमन फेसिलिटी सेन्टर देवभोग स्थापना हेतु परियोजना तैयार कर भारत शासन के ODOP योजना अंतर्गत प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होगा। तदानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव में पुनरीक्षण प्रस्ताव किया गया है।

9. केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) की स्थापना -

छ.ग. शासन, वन विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2020 से छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु जिला दुर्ग के अंतर्गत पाटन विकासखण्ड के ग्राम जामगांव (एम.) में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना दो भागों में की जा रही है। प्रथम भाग, जिसका रकमा 27.69 हेक्ट. है, में छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तथा द्वितीय भाग जिसका रकमा 17.57 हेक्ट. है, में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किये जाने की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ की भूमि पर दो परियोजनाएं संचालित की जायेगी:-

- (i) आयुर्वेदिक औषधी केंद्र की स्थापना।
- (ii) लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।

इसी प्रकार सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा उनको आवंटित भूमि पर लघु वनोपज से संबंधित फूड पार्क की स्थापना किया जावेगा। इस हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 में आयुर्वेदिक औषधी इकाई की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इसी के साथ प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत महुआ तथा हर्बल एक्सट्रैक्ट से संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

संघ द्वारा स्थापित तथा स्थापित किये जा रहे प्रसंस्करण केन्द्रों के अलावा निजी निवेशकों को भी लघु वनोपज आधारित उद्योगों को स्थापित करने तथा निजी निवेश हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत ट्राई पार्टीयट भेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, सी.एस.आई.डी.सी. एवं Kosshe Agro Pvt. Ltd के मध्य दिनांक 19.05.2022 को हस्ताक्षरित किया गया है, Kosshe Agro Pvt. Ltd द्वारा बस्तर में इमली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई पाटन के अंतर्गत सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा 17.57 हेक्ट. में लघु वनोपज आधारित फूड पार्क की स्थापना की जायेगी। वर्ष 2021-22 में अधोसंरचना का निर्माण करते हुए निजी निवेशकों को औद्योगिक भू-खण्ड सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा

उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लघु वनोपज संग्राहकों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। राज्य शासन द्वारा ऐसे उद्योगों को कच्चे माल के रूप में लघु वनोपज सीधे उपलब्ध कराने हेतु निर्णय भी लिया जा चुका है। यह लघु वनोपज, ४.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निश्चित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

—०००—

विषय क्रमांक - 4

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूँजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु बनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंकेक्षण पूर्ण उपरांत वित्तीय पत्रकों का संघ की 22वीं आम सभा दिसंबर 2021 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

छ.ग. राज्य लघु बनोपज संघ के वर्ष 2020-21 में अनुमोदित वित्तीय पत्रकों में बनोपज संघ को राशि **4,55,96,652/-** रुपये का पूँजी पर अर्जित ब्याज प्रदर्शित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम-30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में संघ की पूँजी के विनियोजन से अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि **4,55,96,652/-** रुपये का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है, अतः संघ की शुद्ध लाभ का निम्न मदों में विभाजन निम्नानुसार होना है:-

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,52,74,878.42
2	अंश पूँजी मोचन फंड	20%	91,19,330.40
3	इन्वेट्री लॉस फंड	10%	45,59,665.20
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	13,67,899.56
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	45,59,665.20
6	भवन फंड	17%	77,51,430.84
7	वाहन फंड	4.50%	20,51,849.34
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	9,11,933.04
योग :-		100%	4,55,96,652.00

अतः बनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव संघ की 89वीं संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन उपरांत 23वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

---000---

विषय क्रमांक - 5

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2023-24 के लिये बजट की स्वीकृति।

(अ) लघु वनोपज (तेन्दू पत्ता) संग्रहण वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित व्यय एवं वर्ष 2023-24 का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है:

पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2022-23

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रुपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2022	14.032	लाख मानक बोरा	5200.00 प्रति मानक बोरा	72,966.40
2.	तेन्दू पत्ता (भण्डारित) का विक्रय	2022	1.800	लाख मानक बोरा	5400.00 प्रति मानक बोरा	9,720.00
योग						82,686.40

अनुमानित व्यय वर्ष 2023-24

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रुपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2023	16.720	लाख मानक बोरा	5300.00 प्रति मानक बोरा	88,616.00
योग						88,616.00

(ब)

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास
पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 2023-24

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	2022-23 स्वीकृत बजट	2022-23 पुनरीक्षित बजट	2023-24 प्रस्तावित बजट
1	2	3	4	5	6	7
1	7	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	30500.00	19800.00	24860.00
	7.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय		-	-	-
	7.1.1	कच्चे लघु वनोपज का क्य मूल्य		25000.00	15000.00	18000.00
	7.1.2	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण / भंडारण पर व्यय		4000.00	3000.00	4000.00
	7.2	प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय		-	-	-
	7.2.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय हेतु समायोजित राशि		-	-	-
	7.2.2	कच्चे लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि पर व्यय		1000.00	1500.00	2500.00
	7.3	प्रशासकीय व्यय		500.00	300.00	360.00
2	8	प्रधान मंत्री वन धन योजना	केन्द्र क्षेत्रीय योजना	2200.00	1900.00	1700.00
	8.1	वन धन केन्द्र स्थापना / उपकरण व्यवस्था		100.00	200.00	100.00
	8.2	प्रसंस्करण केन्द्र हेतु कार्यपूँजी		1000.00	1200.00	1200.00
	8.3	क्षमता विकास		100.00	200.00	100.00
	8.4	अधोसंरचना विकास		1000.00	300.00	300.00
3	31	लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 (संघ मद) परियोजना	संघ पोषित योजना	1055.00	685.00	1185.00
	31.1	संसाधन संरक्षण		50.00	50.00	50.00
	31.2	अंतःस्थलीय संवर्धन		800.00	500.00	1000.00
	31.3	बाह्य स्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी		30.00	30.00	30.00
	31.4	क्षमता विकास		120.00	50.00	50.00

	31.5	वन औषधालय		50.00	50.00	50.00
	31.6	अन्य व्यय		5.00	5.00	5.00
4	32	आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित केन्द्र की स्थापना	राज्य योजना	480.00	480.00	480.00
	32.1	संसाधन सर्वेक्षण		50.00	50.00	50.00
	32.2	अंतः स्थलीय संवर्धन		300.00	300.00	300.00
	32.3	बाह्य स्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी		50.00	50.00	50.00
	32.4	क्षमता विकास		30.00	30.00	30.00
	32.5	वन औषधालय		50.00	50.00	50.00
	32.6	अन्य व्यय		-	-	-
5	35	लाख विकास योजना	राज्य योजना	430.00	430.00	430.00
	35.1	लाख संबंधी सर्वेक्षण		50.00	50.00	50.00
	35.2	लाख पालन परियोजना		50.00	50.00	50.00
	35.3	लाख प्रसंस्करण		200.00	200.00	200.00
	35.4	लाख विषय पर क्षमता विकास		75.00	75.00	75.00
	35.5	लाख अनुसंधान एवं विस्तार		30.00	30.00	30.00
	35.6	लाख आधारित उद्यमिता विकास		25.00	25.00	25.00
6	40	41-2406-0802-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना 09041-वानिकी (5231)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	1000.00	1100.00	1500.00
	40.1	हाट बाजार उन्नयन		400.00	400.00	500.00
	40.2	गोदाम निर्माण		600.00	600.00	500.00
	40.3	अन्य विकास कार्य		-	100.00	500.00
7	41	सिल्क समग्र योजना-2 (90%)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	-	360.00	360.00
8	46	प्रसंस्करण केन्द्र आतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102 -5231 लघु वनोपज कार्य हेतु	केन्द्र केन्द्रीय योजना	3293.00	1625.00	3225.00
	46.1	प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय		981.00	1300.00	1000.00

	46.2	प्रसंस्करण केन्द्रों का मशीनरी व्यय		1625.00	-	1800.00
	46.3	स्थापना व्यय/तकनीकी सहायता/क्षमता विकास		15.00	75.00	75.00
	46.4	कार्य पूँजी		200.00	-	-
	46.5	अन्य व्यय		100.00	50.00	50.00
	46.6	अधोसंरचना निर्माण		372.00	200.00	300.00
9	47	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-0702 एवं 0705-(6373)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	0.00	416.00	2500.00
	47.1	प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय		-	-	-
	47.2	प्रसंस्करण केन्द्रों का मशीनरी व्यय		-	-	-
	47.3	कार्य पूँजी/स्व -सहायता समूहों को प्रदाय की गई चक्रीय राशि		-	-	-
	47.4	तकनीकी सहायता/क्षमता विकास		-	-	-
	47.5	अन्य व्यय		-	-	-
10	48	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-102-0102-5231	राज्य योजना	100.00	1.00	1.00
	48.1	प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय		-	-	-
	48.2	प्रसंस्करण केन्द्रों का मशीनरी व्यय		-	-	-
	48.3	कार्य पूँजी/स्व -सहायता समूहों को प्रदाय की गई चक्रीय राशि		-	-	-
	48.4	तकनीकी सहायता/क्षमता विकास		-	-	-
	48.5	अन्य व्यय		-	-	-
11	51	छ.ग राज्य में अकार्डीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना	संघ पोषित योजना (संघ की अधिग्राम व्याज से)	507.00	500.00	500.00
	51.1	अकार्डीय वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य		1.00	1.00	1.00
	51.2	भंडारण		1.00	1.00	1.00
	51.3	विपणन		1.00	1.00	1.00
	51.4	अनुसंधान एवं विस्तार		1.00	1.00	1.00

	51.5	हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा		1.00	1.00	1.00
	51.6	लघु वनोपज का संरक्षण		1.00	1.00	1.00
	51.7	सूचना प्रबंधन प्रणाली		1.00	1.00	1.00
	51.8	मानव संसाधन प्रबंधन एवं क्षमता विकास		500.00	493.00	493.00
12	53	लघु वनोपज आषारित उद्यमिता विकास	संघ पोषित योजना (संघ के अधिग्राम व्याज से)	100.00	100.00	100.00
	53.1	उद्यमिता विकास कार्यक्रम		25.00	25.00	25.00
	53.2	उद्यमिता संबंधी कार्यशाला आदि आयोजन		25.00	25.00	25.00
	53.3	विशेषज्ञ सेवाएँ		25.00	25.00	25.00
	53.4	उद्यमी विकास संबंधी अन्य कार्य		25.00	25.00	25.00
13	54	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज - क्षमता विकास परियोजना	अन्य स्रोत (NRLM) आदि	500.00	1.00	1.00
14	55	विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना	बाह्य सहायता प्राप्त	1000.00	1.00	1.00
15	57	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान	केन्द्र प्रवर्तित योजना (Covid Plan)	500.00	0.00	0.00
16	60	लघु वनोपज व्यापार एवं विकास	संघ पोषित योजना (15 प्रतिशत लाभांश राशि)	21302.00	10802.00	21002.00
	60.1	लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन / उत्पादन		1.00	1.00	1.00
	60.2	लघु वनोपज प्रजाति रोपण / औषधि खेती		1.00	1.00	1.00
	60.3	लाख विकास		-	-	-
	60.4	कच्चे लघु वनोपज का क्रय, संग्रहण / भंडारण पर व्यय		5000.00	5000.00	7500.00
	60.4.1	कच्चे लघु वनोपज का क्रय मूल्य		-	-	-

60.4.2	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण / भंडारण पर व्यय		-	-	-
60.5	प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय	1000.00	1000.00	2000.00	
60.5.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय हेतु समायोजित राशि		-	-	-
60.5.2	कच्चे लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि पर व्यय		-	-	-
60.6	लघु वनोपज विपणन	1600.00	1600.00	2000.00	
60.6.1	नाट व्यापार हेतु चक्रीय निधि	600.00	600.00	1000.00	
60.6.2	विपणन हेतु ब्रांड प्रमोशन आदि	1000.00	1000.00	1000.00	
60.7	अनुसंधान एवं विस्तार	1000.00	200.00	500.00	
60.8	सूचना प्रबंधन प्रणाली	1000.00	200.00	500.00	
60.9	मानव संसाधन विकास	1000.00	1000.00	1200.00	
60.9.1	मानव संसाधन पर व्यय	300.00	300.00	500.00	
60.9.2	क्षमता विकास	700.00	700.00	700.00	
60.10	प्रसंस्करण इकाईयों का विकास	5500.00	700.00	3100.00	
60.10.1	केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई	4000.00	500.00	2500.00	
60.10.2	क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाईयां	500.00	100.00	100.00	
60.10.3	जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाईयां	1000.00	100.00	500.00	
60.11	अधोसंरचना विकास	5200.00	1100.00	4200.00	
60.11.1	नवीन भवन निर्माण	4000.00	500.00	3500.00	
60.11.2	भवन मरम्मत	1000.00	100.00	200.00	
60.11.3	अन्य अधोसंरचनाएं	200.00	500.00	500.00	
योग:-		62967.00	38201.00	57845.00	

- टीप :-**
- (1) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत की राशि से लघु वनोपजों के व्यापार एवं विकास के तारतम्य में मद क्रमांक - 60 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास के अंतर्गत उप मदों में परिवर्तन कर वित्तीय वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तावित किया गया है।
 - (2) वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत मद क्रमांक 39 में उल्लेखित वित्तीय प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत मद क्रमांक 40 में सम्मिलित किया गया है।

- (3) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार एवं विकास अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत मद क्रमांक 41 सम्मिलित किया गया है। परियोजना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं उ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के मध्य 90:10 के अनुपात में मद क्र. 41 (सिल्क समय योजना-2) एवं मद क्र. 60.10.3 (जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाईया) अंतर्गत परियोजना लागत की राशि का निर्वहन किया जावेगा।
- (4) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार एवं विकास अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत मद क्रमांक 47 लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान केन्द्र प्रवर्तित योजना सम्मिलित किया गया है, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP), इनधनवृद्धि योजना सेन्टर, आदि से संबंधित व्यय भारित किया जावेगा।
- (5) वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत मद क्रमांक 47 में उल्लेखित वित्तीय प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत मद क्रमांक 48 लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान राज्य योजना में सम्मिलित किया गया है।
- (6) केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र पाठ्य के संचालन एवं संधारण हेतु चक्रीय निधि लघु वनोपज व्यापार एवं विकास (15 प्रतिशत लाभांश राशि) से वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध कराया जाना संभावित है।

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (रुपये लाख में)

मद क्रमांक	मद	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अक्टूबर 2022 तक का व्यय	शेष 05 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	वेतन एवं भत्ते	850.00	378.17	450.00	828.17	850.00	900.00
13.3	कर्मचारी बोनस	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
13.4	भवन किराया	15.00	5.57	5.00	10.57	15.00	15.00
13.5	अन्य भत्ते	25.00	11.05	9.00	20.05	25.00	25.00
13.6	यात्रा भत्ता	30.00	9.24	6.60	15.84	30.00	30.00
13.7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	40.00	17.29	25.00	42.29	45.00	50.00
13.8	स्टेशनरी आदि क्रय	15.00	5.13	5.00	10.13	15.00	15.00
13.8.1	फोटोकार्पी एवं छपाई व्यय	25.00	3.03	21.00	24.03	25.00	30.00
13.10	टेलीफोन एवं इनस्टालेशन/लीज़ व्यय	15.00	5.38	5.00	10.38	15.00	15.00

13.11	विजली एवं पानी व्यय	30.00	12.73	11.00	23.73	25.00	15.00
13.12	पोस्टेज	1.00	0.08	0.20	0.28	0.50	1.00
13.13	विज्ञापन एवं निविदा व्यय	30.00	12.17	8.69	20.86	30.00	30.00
13.13.1	प्रदार-प्रसार	500.00	7.34	280.00	287.34	300.00	300.00
13.14.1	प्रशिक्षण	20.00	10.42	7.44	17.86	20.00	20.00
13.14.2	सम्मेलन व्यय	50.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00
13.18	न्यायालयीन/विविध व्यय	15.00	22.84	16.31	39.15	40.00	40.00
13.22	अंकेश्वर शुल्क	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00
13.23.1	फर्नीचर मरम्मत	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00
13.23.2	कम्प्यूटर/प्रिंटर/अन्य उपकरण मरम्मत/व्यय	20.00	4.82	5.00	9.82	10.00	15.00
13.24	अतिथि सत्कार, बैठक आयोजन पर व्यय	30.00	3.55	5.00	8.55	10.00	15.00
13.25.1	वाहन ईन्थन व्यय	30.00	19.92	14.23	34.15	35.00	40.00
13.27	वाहन मरम्मत व्यय	15.00	0.31	4.00	4.31	5.00	10.00
13.28	वाहन किराया	35.00	31.00	22.14	53.14	60.00	60.00
13.29	वाहन बीमा एवं अन्य व्यय	5.00	0.09	0.06	0.15	1.00	2.00
13.30	विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय एवं प्रसंस्करण केन्द्र)	1000.00	282.95	202.11	485.06	500.00	1000.00
13.31	विविध व्यय	25.00	9.06	6.47	15.53	20.00	25.00
13.33	ग्रेजुएटी (उपादान)	20.00	24.36	0.00	24.36	25.00	30.00
13.34	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण (उपादान)	25.00	12.81	0.00	12.81	15.00	25.00
13.35	किताब पत्रिका क्रय	5.00	0.09	0.10	0.19	2.00	2.00
13.36	विभिन्न भवनों, परिसरों का रख रखाव/मरम्मत	20.00	11.09	7.92	19.01	20.00	25.00
13.37	उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार	18.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
13.38	घसारा (डिपरिशिएशन)	250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	500.00
13.39	सलाहकार सेवाएं पर व्यय	200.00	61.17	86.00	147.17	160.00	370.00
13.39.1	व्यावसायिक	150.00	30.25	60.00	90.25	100.00	300.00

	13.39.2	तकनीकि	50.00	30.92	26.00	56.92	60.00	70.00
14.4	ई.पी.एफ. अंशदान		130.00	58.50	60.00	118.50	120.00	130.00
14.4.1	पेशन अंशदान		60.00	18.04	15.00	33.04	40.00	60.00
	योग:-		3594.00	1038.20	1688.29	2726.49	2875.50	3860.00

(द) जिला यूनियनों / समितियों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय (रूपये लाख में)

विवरण	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
जिला यूनियनों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय	3200.00	3500.00
समितियों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय	2000.00	2200.00

(इ) संग्राहक मूलक योजनाओं पर व्यय (प्राप्त ब्याज की राशि से व्यय) (रूपये लाख में)

मद्रासांक	मद्रासा	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अक्टूबर 2022 तक का व्यय	शेष 05 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनर्रचित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	बीमा योजनाये	5266.00	55.59	4625.00	4680.59	4754.46	4270.00
	17.1 शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना	5000.00	0.00	4500.00	4500.00	4500.00	4000.00
	17.2 तेंदूपता संग्राहक सामुद्रिक सुरक्षा योजना (परिवार बीमा योजना)	200.00	1.13	125.00	126.13	200.00	200.00
	17.3 फड मुश्शी बीमा योजना (LIC)	56.00	47.44	0.00	47.44	47.44	60.00
	17.4 समिति प्रबंधकों की बीमा योजना (LIC)	10.00	7.02	0.00	7.02	7.02	10.00
17.5	मेघावी व प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना (छात्रवृत्ति)	1200.00	85.91	900.00	985.91	1000.00	1200.00
	योग:-	6466.00	141.50	5525.00	5666.50	5754.46	5470.00

टीप:-	शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु 50 प्रतिशत की राशि राज्य शासन से सहायक अनुदान एवं 50 प्रतिशत संघ द्वारा व्यय की जावेगी।
--------------	--

(फ) पूँजीगत व्यय (रूपये लाख में)

मद क्रमांक	मद	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अक्टूबर 2022 तक का व्यय	शेष 05 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	निर्माण (अचल सम्पत्ति)	4300.00	1191.08	2474.45	3665.53	3800.00	2400.00
25.11	भवन निर्माण (मुख्यालय / आवासीय भवन)	1500.00	631.80	465.29	1097.09	1100.00	600.00
25.9	भवन निर्माण (जिला यूनियन / प्राथमिक समिति)	300.00	100.51	81.79	182.30	200.00	300.00
25.8	गोदाम निर्माण	2500.00	458.77	1927.37	2386.14	2500.00	1500.00
25.1	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय	50.00	7.56	15.00	22.56	25.00	50.00
25.2	अंशपूँजी क्रय	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
25.4	फनौचर, उपस्कर, ऑलरिक साज-सज्जा क्रय	300.00	0.23	49.55	49.78	50.00	600.00
25.5	वाहन क्रय	50.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00
25.7	कार्यालयीन उपकरण क्रय	15.00	1.00	3.50	4.50	5.00	10.00
योग:-		4725.00	1199.87	2582.50	3782.37	3920.00	3110.00

(भ) NWFP मार्ट से संबंधित विपणन व्यय (लाख में)

मद क्रमांक	मद	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अक्टूबर 2022 तक का व्यय	शेष 05 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	NWFP मार्ट से संबंधित विपणन व्यय						
61.1	मजदूरी एवं पारिश्रमिक	66.67	8.16	5.83	13.99	15.00	20.00
61.2	विद्युत व्यय	4.17	2.85	2.04	4.89	6.00	9.00
61.3	भवन, परिसर का रख रखाव/ मरम्मत	5.00	0.41	0.29	0.70	1.00	3.00
61.4	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	2.50	0.47	0.34	0.81	1.00	2.00
61.5	कम्प्यूटर एवं स्टेशनरी व्यय	2.50	0.75	0.53	1.28	1.50	2.50
61.6	परिवहन व्यय	4.17	0.20	0.20	0.20	0.50
61.7	प्रचार-प्रसार	50.00	20.00	20.00	20.00	30.00
61.8	सामग्री से संबंधित व्यय (ऐकेजिंग)	250.00	52.46	37.47	89.93	98.00	120.00
61.9	सामग्री से संबंधित व्यय (कच्चे वनोपज)	278.33	200.00	200.00	250.00	375.00
61.10	प्रसंस्करण केन्द्रों को उत्पाद का भुगतान	216.67	200.91	143.51	344.42	423.00	634.00
61.11	अन्य व्यय	120.00	1.25	0.89	2.14	3.00	4.00
योग:-		1000.00	267.26	411.10	678.36	818.70	1200.00

- नोट:-**
- मार्ट संचालन हेतु चक्रीय निधि मद क्रमांक 60.6.1 से राशि प्रदाय की जायेगी। मार्ट से प्रसंस्कृत उत्पादों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए उक्त मदों/उपमदों में राशि व्यय की जायेगी। संघ पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा।
 - चक्रीय निधि का उपयोग मार्ट के संचालन हेतु किया जायेगा तथा यह राशि संघ को वापसी योग्य होगी।

C- Mart से संबंधित विपणन व्यय (राशि लाख में)

मद क्रमांक	मद	स्वीकृत बजट	वर्ष 2022-23 पुनरीक्षित बजट	वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव
1	2	3	4	5
61.12	C- Mart से संबंधित विपणन व्यय			
61.12.1	मजदूरी एवं पारिश्रमिक		10.00	20.00
61.12.2	प्रसंस्करण केन्द्रों को उत्पाद का भुगतान		500.00	1000.00
61.12.3	अन्य व्यय		5.00	11.00
योग:-		0.00	515.00	1031.00

- नोट:-**
- मार्ट संचालन हेतु चक्रीय निधि मद क्रमांक 60.6.1 से राशि प्रदाय की जायेगी। मार्ट से प्रसंस्कृत उत्पादों के विक्रय से प्राप्त राशि का प्रयोग करते हुए उक्त मदों/उपमदों में राशि व्यय की जायेगी। संघ पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा।
 - चक्रीय निधि का उपयोग मार्ट के संचालन हेतु किया जायेगा तथा यह राशि संघ को वापसी योग्य होगी।

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2023-24 में वनोपज की बिक्री से रु. 90,550.59 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रुपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता	90,550.59
योग		90,550.59

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

अ. क्र.	विवरण	राशि (रुपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता वर्ष 2021 संग्रहण काल में गोदामीकृत 1.675 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 0.790 लाख मानक बोरा की 70% मात्रा हेतु अनुमानित रु. 150/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	82.95
2.	वर्ष 2022 संग्रहण काल में गोदामीकृत 1.775 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 1.209 लाख मानक बोरा की 70% मात्रा हेतु अनुमानित रु. 2800/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	2,369.64
3.	a. वर्ष 2023 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.720 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 13.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रु. 6500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि b. वर्ष 2023 संग्रहण काल में अग्रिम में अविक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 3.72 लाख मानक बोरा की 50% मात्रा हेतु अनुमानित रु. 2300/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	77,220.00 4,278.00
4.	वर्ष 2024 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.720 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 10.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रु. 6200/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	6,600.00
योग		90,550.59

(ब) विभिन्न बैंकों में संघ की जमा निधियों से प्राप्त ब्याज (2023-24)

अ.क्र.	विवरण	राशि (रुपये लाख में) (अनुमानित)
1.	संघ की जमा निधियों पर प्राप्त ब्याज	4000.00

(स) तेन्दु पत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त राशि (2023-24)

अ.क्र.	विवरण	राशि (रुपये लाख में)
1.	राज्य शासन से शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दु पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त अनुदान	2000.00

(द)

अराष्ट्रीयकृत लघु बनोपज व्यापार / विकास
पुनरीक्षित राजस्व बजट वित्तीय वर्ष 2022-23
राजस्व बजट 2023-24

(राशि रु.
लाख में)

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
				स्वीकृत	पुनरीक्षित	प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7
अ - विक्रम्य से प्राप्त आय						
1	42	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत विक्रम्य से प्राप्त आय	केन्द्र प्रवर्तित योजना	14000.00	16700.00	23700.00
2	42.1	कच्चे लघु बनोपज विक्रम्य से आय		10000.00	10000.00	15000.00
3	42.2	प्रसंस्कृत लघु बनोपज विक्रम्य से आय		1500.00	1500.00	2500.00
4	42.3	लघु बनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति	केन्द्र प्रवर्तित योजना	2500.00	5000.00	6000.00
5	42.4	अन्य आय		-	200.00	200.00
6	61	लघु बनोपज व्यापार एवं विकास मद के अंतर्गत विक्रम्य से प्राप्त आय	संघ पोषित योजना	5000.00	5000.00	10200.00
7	61.1	कच्चे लघु बनोपज विक्रम्य से आय		3000.00	3000.00	6120.00
8	61.2	प्रसंस्कृत लघु बनोपज विक्रम्य से आय		1000.00	1000.00	2040.00
9	61.3	लघु बनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति		1000.00	1000.00	2040.00
10	61.4	अन्य आय		-	-	-
योग:-				19000.00	21700.00	33900.00

ब - अनुदान एवं उपलब्ध राशि

11	7	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	20000.00	7500.00	10000.00
12	8	वनधन विकास केन्द्र योजना		500.00	1900.00	1700.00
13	31	लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 संघ मद परियोजना	संघ पोषित योजना	250.00	685.00	1185.00
14	32	आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना	राज्य शासन योजना	400.00	480.00	480.00
15	35	लाख विकास योजना	राज्य योजना	200.00	430.00	430.00
16	40	गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन	केन्द्र प्रवर्तित योजना	-	1100.00	1500.00
17	41	सिल्क समग्र योजना-2	केन्द्र प्रवर्तित योजना	-	360.00	360.00
18	46	प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु	केन्द्र केन्द्रीय योजना	-	1625.00	3225.00
19	47	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-0702 एवं 0705-(6373)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	-	416.00	2500.00
20	48	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-102-0102-5231	राज्य योजना	-	1.00	1.00
21	51	छ.ग. राज्य में अकार्यी वनोपज आधारित रोजगारोनुस्खी परियोजना	संघ पोषित योजना (अग्रिम व्याज से)	-	500.00	500.00
22	54	अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना	अन्य स्रोत (NRLM) आदि	500.00	1.00	1.00
23	55	विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना	बाह्य सहायता प्राप्त	1000.00	1.00	1.00
24	57	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान	केन्द्र प्रवर्तित योजना (Covid Plan)	2000.00	0.00	0.00

25	60	लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद क्रमांक - 27.11) 15 प्रतिशत की राशि	संघ पोषित योजना	3000.00	2107.59	2318.35
योग:-				46850.00	38806.59	58101.35
स - ऋण						
26	-	निरंक		-	-	-
महायोग-				46850.00	38806.59	58101.35

टीप:- उपरोक्त मदों के अंतर्गत् संघ के पास उपलब्ध राशि में प्राप्त ब्याज की राशि भी सम्मिलित है।

नोट:- 1. लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत (01 संघ मद परियोजना) में मार्च 2022 की स्थिति में राशि रु. **54.17** करोड़ शेष है।

2. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (राज्य शासन योजना) में मार्च 2022 की स्थिति में राशि रु. **4.62** करोड़ शेष है।
3. छ.ग. राज्य में अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारान्मुखी परियोजना संघ पोषित योजना (ब्याज मद से) मार्च 2022 की स्थिति में राशि रु. **19.28** करोड़ शेष है।
4. लाख विकास योजना (राज्य शासन योजना) में राशि रु. **8.99** करोड़ शेष है।
5. लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद कं. 27.11) तेंदु पत्ता लाभांश की 15 प्रतिशत की राशि (संघ पोषित योजना) में राशि रु. **440.64** करोड़ शेष है।
6. उपरोक्त शेष राशियों में असमायोजित राशि सम्मिलित है।

- 000 -

NWFP- Mart से संबंधित विपणन आय (राशि लाख में)

मद क्रमांक	मद	स्वीकृत बजट	2022-23 पुनरीक्षित बजट	वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव
1	2	3	4	5
62.13	NWFP-Mart से संबंधित विपणन आय			
62.13.1	विक्रय से प्राप्त आय		1200.00	1200.00
62.13.2	अन्य आय		12.00	12.00
योग:-		0.00	1212.00	1212.00

C- Mart से संबंधित विपणन आय (राशि लाख में)

मद क्रमांक	मद	स्वीकृत बजट	2022-23 पुनरीक्षित बजट	वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव
1	2	3	4	5
62.14	C-Mart से संबंधित विपणन आय			
62.14.1	विक्रय से प्राप्त आय		300.00	1000.00
62.14.2	चक्रीय निधि (राज्य शासन से प्राप्त अनुदान)		500.00	0.00
62.14.3	अन्य आय		10.00	10.00
योग:-		0.00	810.00	1010.00

नोट:-

1. चक्रीय निधि राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जायेगी, जिसका उपयोग उत्पादन क्रेताओं को त्वरित भुगतान हेतु किया जायेगा। चूंकि संचालक द्वारा उत्पादों की प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर भुगतान का प्रावधान है, तथा उत्पादकों को 07 दिवस के भीतर भुगतान का प्रावधान है।
2. प्रथम वर्ष में विक्रय से प्राप्त आय कुल व्यय से कम है चूंकि संचालक से राशि प्राप्ति की अवधि 45 दिन की है, जो लेनदारी के रूप में रहेगी।

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण (वर्ष 2023-24)

अ.क्र.	आय	राशि (रुपये लाख में)
1.	राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के बिक्री से आय	90,550.59
2.	संघ की जमा निधियों पर प्राप्त व्याज	4,000.00
3.	तेन्दु पत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त राशि	2,000.00
4.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास के लिये प्राप्त राशि	58,101.35
	योग	1,54,651.94

अ.क्र.	व्यय	राशि (रुपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	88,616.00
2.	कार्यालयीन व्यवस्था व्यय	3,860.00
3.	संग्राहकमूलक योजनाओं पर व्यय	5,470.00
4.	पूँजीगत व्यय	3,110.00
5.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास एवं विपणन पर व्यय	57,845.00
6.	प्रारंभिक स्तर का मूल्य	0.00
7.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय / विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	निरंक
	योग	1,58,901.00

आविक्य / कमी (लाख में)

1.	कुल आय	1,54,651.94
2.	कुल व्यय	1,58,901.00
3.	संघ का शुद्ध लाभ / हानि (1-2)	- 4,249.06 (हानि)

संघ की पूँजी (शीड केपीटल) (लाख में)

1.	संघ की पूँजी (शीड केपीटल)	10,047.89
----	---------------------------	-----------

वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट के विरुद्ध अनुपूरक / पुनरीक्षित बजट का अनुमोदन

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत बजट के विरुद्ध दिनांक 31.10.2022 की स्थिति में हुए वास्तवित व्यय एवं आगामी 5 माह में अधिक व्यय होना संभावित है। आमसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत बजट के अंतर्गत कुछ मदों में अतिरिक्त व्यय निम्नानुसार प्रस्तावित है:

1. **चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय** :- चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय में स्वीकृत बजट राशि रूपये 40.00 लाख के विरुद्ध राशि रु. 45.00 लाख होना संभावित है। कुछ अधिकारी / कर्मचारियों की नवीन भर्ती होने के कारण इस मद में अधिक व्यय संभावित है।
2. **न्यायालयीन / विविध व्यय** :- न्यायालयीन / विविध व्यय में स्वीकृत बजट राशि रूपये 15.00 लाख के विरुद्ध माह अक्टूबर तक राशि रु. 22.84 लाख व्यय हो चुका है। आगामी माह में उक्त व्यय के अनुपात में अधिक व्यय होने के कारण राशि रु. 40.00 लाख का व्यय संभावित है।
3. **वाहन ईथन व्यय** :- वाहन ईथन व्यय में स्वीकृत बजट राशि रूपये 30.00 लाख के विरुद्ध माह अक्टूबर तक राशि रु. 19.92 लाख व्यय हो चुका है। अधिकारी एवं अन्य कार्यों हेतु वाहन की आवश्यकता होने कारण आगामी माह में उक्त व्यय में अधिक व्यय होने के कारण राशि रु. 35.00 लाख संभावित है।
4. **वाहन किराया** :- वाहन किराया व्यय में स्वीकृत बजट राशि रूपये 35.00 लाख के विरुद्ध माह अक्टूबर तक राशि रु. 31.00 लाख व्यय हो चुका है। पर्याप्त मात्रा में वाहन उपलब्ध न होने के कारण किराये के वाहन लेकर अधिकारियों को आबंटन किया गया है इस कारण आगामी माह में उक्त मद में अधिक व्यय राशि रु. 60.00 लाख का संभावित है।
5. **ग्रेज्युटी (उपादान)** :- ग्रेज्युटी (उपादान) में स्वीकृत बजट राशि रूपये 20.00 लाख के विरुद्ध अधिकारी / कर्मचारियों की नवीन भर्ती होने के कारण माह अक्टूबर में राशि रु. 24.36 लाख का भुगतान किया गया है। अतः उक्त मद में पुनरीक्षित राशि रु. 25.00 लाख की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है।
6. **घसारा (डेपरिशियेशन)** :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रावधानित राशि रूपये 250.00 लाख के विरुद्ध 361.00 लाख का वित्तीय पत्रक अनुसार डेपरिशियेशन निकाला गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधानित राशि रु. 250.00 लाख के विरुद्ध 375.00 लाख किया जाना प्रस्तावित है।
7. **सलाहकार सेवाएं (तकनीकी) एवं व्यय** :- सलाहकार सेवाओं पर प्रावधानित राशि रु. 50.00 लाख के विरुद्ध दिनांक 31.10.2022 तक राशि रूपये 30.92 लाख का व्यय किया जा चुका है। अतः उक्त मद में राशि रूपये 60.00 लाख का कृपया अनुमोदन करना चाहेगी।

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज / औषधी पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु वर्ष 2022-23
का पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित बजट

अ. अनुमानित व्यय शीर्ष

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य संग्रहण योजना (मद क्रमांक - 7) -

न्यूनतम समर्थन मूल्य संग्रहण संवर्धन योजना अंतर्गत कच्चे लघु वनोपज क्य एवं क्य किए गए कच्चे लघु वनोपज के मूल्य संवर्द्धन हेतु पुनरीक्षित बजट वर्ष 2022-23 में राशि रु. 19800.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2023-24 में इस हेतु राशि रु. 24860.00 लाख प्रस्तावित है। उक्त राशि से 38 प्रकार के लघु वनोपज का क्य एवं प्रसंस्करण योग्य लघु वनोपज का मूल्य संवर्द्धन का कार्य किया जावेगा।

2. प्रधान मंत्री वनधन विकास योजना मद (मद क्रमांक - 8) -

प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण से जुड़े वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत लगभग राशि रु. 22.00 करोड़ का उत्पाद निर्माण लक्ष्य वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत प्रसंस्करण कार्य हेतु उपकरण व्यवस्था प्रसंस्करण हेतु कार्य पूँजी, क्षमता विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। ट्रायफेड नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त मद में वनधन विकास केन्द्र के समूहों को कार्य पूँजी राशि के रूप में राशि रु. 10 लाख जारी की गई है। वर्तमान वर्ष में ट्रायफेड नई दिल्ली को नवीन वनधन विकास केन्द्र स्थापना तथा पुराने वनधन विकास केन्द्र के अधोसंरचना विकास हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। तदानुसार वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 1900.00 लाख एवं वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित बजट में राशि रु. 1700.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

3. लोक संरक्षित केन्द्र-01 (संघ मद) परियोजना (मद क्रमांक - 31) -

लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण किया जावे। इस हेतु संघ मद में संचालित पी.पी.ए. योजना अंतर्गत अंतःस्थली एवं बाह्य स्थली संवर्द्धन, औषधि रोपणी आदि कार्यों के लिए वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 685.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 1185.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

4. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (मद क्रमांक - 32) -

लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कर महत्वपूर्ण लघु वनोपज के संरक्षण हेतु उक्त योजना में कार्य किया जावेगा। इस योजना में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 480.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि रु. 480.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है।

5. लाख विकास योजना (मद क्रमांक - 35) -

लाख को शासन द्वारा कृषि फसल धोषित किया गया है। तदानुसार योजना का स्वरूप पूर्णरूपेण परिवर्तित हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लाख पालन, प्रसंस्करण, अनुसंधान विस्तार, क्षमता विकास एवं लाख आधारित उद्यामिता विकास कार्यों के लिए पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 430.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में भी राशि रु. 430.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

6. 41-2406-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना 09041-वानिकी (5231) (मद क्रमांक - 40) -

आदिवासी मामले के मंत्रालय भारत शासन से हाट बाजार उन्नयन / गोदाम निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई थी। उक्त राशि से महत्वपूर्ण हाट बाजार / वनधन केन्द्र जड़ों लघु वनोपज की पर्याप्त उपलब्धता हो, के अंतर्गत उन्नयन एवं गोदाम निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट हेतु राशि रु. 1100.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रत्यावित बजट में राशि रु. 1500.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

7. सिल्क समग्र योजना-2 (मद क्रमांक - 41) -

सिल्क समग्र योजना रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड की योजना है। इस योजना के चार बड़े-बड़े अवयव हैं, जैसे- 1) अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, तकनीक, हस्तांतरण एवं सूचना तकनीक, 2) बीज संगठन, 3) समन्वयन एवं बाजार निर्माण तथा 4) गुणवत्ता अभिप्रामाणन प्रणालियाँ (QCS) / निर्यात ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं तकनीक का उक्तमण। परियोजना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के मध्य 90:10 के अनुपात में परियोजना लागत की राशि का निर्वहन किया जावेगा। इस हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि रु. 360.00 लाख इस मद अंतर्गत प्रस्तावित की गई है तथा संघ द्वारा परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि रु. 40.00 लाख मद क्र. 60.10.3 जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाई अंतर्गत प्रस्तावित की गई है।

8. प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (मद क्रमांक - 46) -

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) में आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण प्रारंभ किया गया है एवं लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। इस हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट हेतु राशि रु. 1625.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 3225.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

9. प्रसंस्करण केन्द्र (केन्द्र प्रवर्तित) योजना (मद क्रमांक - 47) -

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु प्राप्त राशि से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इनक्यूबेशन सेन्टर, आदि से संबंधित कार्य किया जावेगा। इस योजना हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट हेतु राशि रु. 416.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 2500.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

10. प्रसंस्करण केन्द्र (राज्य शासन) योजना (मद क्रमांक - 48) -

इस योजना अंतर्गत प्रसंस्करण केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में क्रमशः राशि रु. 1.00-1.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है।

11. संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना (मद क्रमांक - 51) -

शासन से प्राप्त निर्देशानुसार लघु वनोपज के प्रसंस्करण / विपणन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना अंतर्गत अनुसंधान विस्तार, विपणन एवं हितग्राहियों के अधिकाधिक क्षमता विकास हेतु वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में प्रत्येक वर्ष में राशि रु. 500.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

12. लघु वनोपज आधारित उद्यमिता विकास (मद क्रमांक - 53) -

लघु वनोपज आधारित उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष 2019-20 में लघु वनोपज को अति प्राथमिकता के उद्योग घोषित किये गये हैं। तदानुसार लघु वनोपज उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए उद्यमिता विकास हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट में तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में प्रत्येक वर्ष राशि रु. 100.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है।

13. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्षमता विकास योजना (मद क्रमांक - 54) -

क्षमता विकास हेतु NRLM में प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 1.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 1.00 लाख का प्रावधान है।

14. विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना (मद क्रमांक - 55) -

विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में प्रत्येक वर्ष राशि रु. 1.00 लाख प्रावधानित है।

15. लघु वनोपज हेतु प्रसंस्करण अनुदान (Covid Plan) (मद क्रमांक - 57) -

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त होने वाले अनुदान में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 0.00 तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 0.00 प्रस्तावित की गई है।

16. लघु वनोपज व्यापार एवं विकास (मद क्रमांक - 60) :-

राज्य शासन के निर्णयानुसार तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ 13-31/2009/10-2/बजट दिनांक 23.02.2021 के संदर्भ में तेंदू पत्ते के व्यापार से प्राप्त 15 प्रतिशत की राशि से लघु वनोपज व्यापार एवं विकास कार्य हेतु लघु वनोपज संवर्द्धन, लघु वनोपज विपणन, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास, प्रसंस्करण ईकाइयों का विकास एवं अधीसंरचना विकास कार्य हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। इस हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट में राशि रु. 10802.00 लाख एवं वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में राशि रु. 21002.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

16.1. लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन/उत्पादन (मद 60.1)

उक्त मद में लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन/उत्पादन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

16.2. लघु वनोपज प्रजाति रोपण / औषधि खेती (मद 60.2) :-

व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण वनोपज / औषधि का खेती बढ़ावा कार्य उक्त मद में किया जावेगा।

16.3. लाख विकास (मद 60.3) :-

उक्त मद से लाख विकास हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

16.4. कच्चे लघु वनोपज पर व्यय :- (मद 60.4)

उक्त मद अंतर्गत संघ द्वारा निर्धारित दर पर लघु वनोपज का क्रय/ संग्रहण /भंडारण/ आदि किया जावेगा।

16.5. प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय :- (मद 60.5)

उक्त योजना में क्रय किए गए लघु वनोपज का द्वितीयक प्रसंस्करण का कार्य प्रस्तावित है।

16.6. लघु वनोपज विपणन :- (मद 60.6)

इस घटक के अंतर्गत वन-धन विकास केन्द्र के माध्यम से हर्बल उत्पाद व्यापार हेतु संबंधित वृत्त के NWFP मार्ट को चक्रीय निधि दिया जावेगा। विक्रय उपरांत प्राप्त राशि उक्त मद में पुनः समायोजित की जावेगी।

छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड का प्रचार-प्रसार कार्य भी कराया जावेगा।

16.7. अनुसंधान विस्तार :- (मद 60.7)

लघु वनोपज आधारित हर्बल उत्पादों के गुणवत्ता, तकनीकी उन्नयन एवं नवीन उत्पाद निर्माण हेतु उक्त मद में विभिन्न संस्थाओं जैसे - CFTRI, ICAR, IIMR आदि तथा अन्य विशेषज्ञों की सेवा ली जानी प्रस्तावित है।

16.8. सूचना प्रबंधन प्रणाली :- (मद 60.8)

संघ अंतर्गत व्यापार/विकास कार्यों के संचालन मानिटरिंग तथा डिसीजन सर्पेटिंग सिस्टम MIS आदि हेतु उक्त सफ्टवेयर निर्माण, हार्डवेयर क्रय आदि कार्य उक्त मद में प्रस्तावित है।

16.9. मानव संसाधन विकास पर व्यय :- (मद 60.9)

- 60.9.1 मानव संसाधन विकास** - लघु वनोपज व्यापार/विकास हेतु संविदा पर नियुक्त कर्मचारी वेतन, भत्ते आदि तथा अन्य संविदा संयुक्त कर्मचारी / इंटर्न एवं अन्य प्रकार कर्मचारी वेतन, भत्ते आदी इस मद के अंतर्गत भारित किया जावेगा।
- 60.9.2 क्षमता विकास पर व्यय** - लघु वनोपज व्यापार / विकास हेतु नियोचित समूह / कर्मचारी / संग्राहक / कृषक तथा प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा क्षमता विकास आदि कार्य इस मद के अंतर्गत भारित किया जावेगा।

16.10. प्रसंस्करण इकाईयों का विकास (मद 60.10)

- 60.10.1 केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई** - केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि संबंधी व्यय इसके अंतर्गत भारित किया जावेगा।
- 60.10.2 क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई** - क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि व्यय इसके अंतर्गत भारित किया जावेगा।
- 60.10.3 जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाई** - राज्य के विभिन्न जिले में प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि संबंधी व्यय इस मद के अंतर्गत भारित किया जावेगा। सिल्क समग्र योजना रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड की योजना है। परियोजना हेतु छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत इस मद अंतर्गत निर्वहन किया जावेगा।

16.11. प्रसंस्करण इकाईयों का विकास (मद 60.11)

- 60.11.1 नवीन भवन निर्माण** - इसके अंतर्गत गोदाम तथा अन्य नवीन भवन निर्माण किया जावेगा।
- 60.11.2 भवन मरम्मत** - इसके अंतर्गत विभिन्न गोदाम, वनधन केन्द्र, प्रसंस्करण केन्द्र आदि भवन मरम्मत कार्य किया जावेगा।
- 60.11.3 अन्य अधोसंचना विकास** - इसके अंतर्गत NWFP मार्ट, संजीवनी तथा अन्य प्रकार के भवन निर्माण प्रस्तावित है।

ब. अनुमानित आय एवं अनुदान शीर्ष

१. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय (मद क्रमांक - 42) -

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत कच्चे एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज के विक्रय से प्राप्त आय एवं अन्य हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 16700.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 23700.00 लाख का लक्ष्य प्रस्तावित किया जा रहा है।

२. लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद के अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय (मद क्रमांक - 61) -

लघु वनोपज व्यापार एवं विकास अंतर्गत कच्चे एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज के विक्रय से प्राप्त आय एवं अन्य हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 5000.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 10200.00 लाख का लक्ष्य प्रस्तावित किया जा रहा है।

३. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना (मद क्रमांक - 7) -

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना अंतर्गत अनुदान (केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत) हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि 7500.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 10000.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

४. बनधन विकास केन्द्र योजना (मद क्रमांक - 8) -

बनधन विकास केन्द्र योजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1900.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1700.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

५. लोक संरक्षित क्षेत्र - ०१ संघ मद परियोजना (मद क्रमांक - 31) -

लोक संरक्षित क्षेत्र परियोजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 685.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1185.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

६. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (मद क्रमांक - 32) -

लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कर महत्वपूर्ण लघु वनोपज के संरक्षण योजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 480.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 480.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

7. लाख विकास योजना (मद क्रमांक - 35) -

लाख विकास योजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 430.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 430.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

8. गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन (मद क्रमांक - 40) -

गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन (केन्द्रीय 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत) अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1100.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1500.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

9. सिल्क समग्र योजना-2 (मद क्रमांक - 41) -

सिल्क समग्र योजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 360.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 360.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

10. प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु (मद क्रमांक - 46) -

प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना (केन्द्र क्षेत्रीय योजना) अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1625.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 3225.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

11. लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-0702 एवं 0705-(6373) (मद क्रमांक - 47) -

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान (केन्द्र प्रवर्तित योजना) अंतर्गत वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 416.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 2500.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

12. लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-102-0102-5231 (मद क्रमांक - 48) -

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान (राज्य योजना) अंतर्गत वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

13. छ.ग.राज्य में अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना (मद क्रमांक - 51)-

छ.ग. राज्य में अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 500.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 500.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

14. अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना (मद क्रमांक - 54) -

अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

15. विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना (मद क्रमांक - 55) -

विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

16. लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान (मद क्रमांक - 57) -

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान (केन्द्र प्रवर्तित योजना (Covid Plan)) अंतर्गत वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 0.00 तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 0.00 प्रस्तावित किया जा रहा है।

17. लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद क्रमांक - 27.11) 15 प्रतिशत की राशि (मद क्रमांक - 60) -

लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (15 प्रतिशत की राशि) अंतर्गत अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 2107.59 लाख तथा वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 2318.35 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

---000---

विषय क्रमांक - 6

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत्।

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर अंकेक्षण कार्य कराया जाना है तथा अधिनियम की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर अंकेक्षण कार्य कराया जाना है तथा अधिनियम की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/514 दिनांक 28.01.2014 से दिये गये निर्देशों की कण्ठिका 8 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी संपरीक्षक / संपरीक्षा फर्म को किसी सोसायटी को लगातार 3 वर्षों की संपरीक्षा हेतु नियुक्त नहीं की जा सकती है। उक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि 2 वर्ष लगातार अंकेक्षण कार्य कराया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षण हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाये द्वारा सूचीकृत चार्टड एकाउंटेंट फर्मों से विज्ञापन के आधार पर परीक्षण उपरान्त प्राप्त आवेदन में से तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुत कर्ता फर्म अजय सिंधवानी एण्ड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट, गोकुलपुरम, कचना रोड, रायपुर को राशि रु. 85,000/- की दर पर संघ द्वारा गठित समिति के अनुसंशा उपरान्त नियुक्त किया गया था।

अजय सिंधवानी एण्ड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट, गोकुलपुरम, कचना रोड, रायपुर द्वारा दिनांक 13.09.2022 को प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राशि रु. 85,000/- की अंकेक्षण शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ राशि रु. 93,500/- (समस्त कर सहित) की दर से वर्ष 2022-23 का अंकेक्षण किये जाने हेतु लेख किया गया है, तथानुसार वर्ष 2022-23 का अंकेक्षण अजय सिंधवानी एण्ड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट, गोकुलपुरम, कचना रोड, रायपुर से प्राप्त से कराया जाना प्रतावित है।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव संचालक मंडल में अनुमोदन उपरान्त 23वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

---000---

विषय क्रमांक - 7

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु बनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित से 31 जिला बनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है। राष्ट्रीयकृत लघु बनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला बनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है। उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रित बनोपज का विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का समायोजन उपरांत संघ के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक/लाभ-हानि एवं रिथति विवरण पत्रक) तैयार कर अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक, संचालक मंडल में अनुमोदन उपरान्त 23वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

---000---



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2022

PREVIOUS YEAR AMT	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1000000000.00	AUTHORISED SHARE CAPITAL		1000000000.00				1,09,65,27,342.18
	Paid Up Share Capital	18,96,87,392.14		62,50,86,802.56	Fixed Assets	72,32,54,625.56	
4,37,22,122.14	State Government	4,37,22,122.14		3,61,00,737.00	Godown & Building	3,61,00,737.00	
32,000.00	Disaster Union	32,000.00		1,76,11,954.00	Land (Wise Repair)		
10,18,64,346.40	State Government through NCDC (Ad.)	10,18,64,346.40		2,66,77,900.53	Vehicle (Assets)	1,92,56,032.76	
54,47,622.40	Social Justice & Empowerment	54,47,622.40		2,51,32,800.67	Furniture and Office Stock	4,13,44,278.53	
84,38,089.20	Tribal & Minority Welfare	84,38,089.20		2,46,53,613.02	Computer & Computer Parts	2,55,13,554.85	
3,21,83,200.00	NCDC Godowns from C.G. Govt	3,21,83,200.00		17,43,13,510.00	Office Machinery	2,55,26,775.48	
	Funds & Reserves		1,22,85,56,924.89	1,86,71,828.00	Office Building (Work in Progress)	20,58,57,490.00	
9,10,26,343.00	General Reserves & Funds	8,85,75,578.99		1,86,71,828.00	(Work in Progress)	1,86,71,828.00	
21,70,54,055.80	Reserve Funds	23,22,73,002.29					1,75,000.00
36,34,53,235.03	Depreciation Funds	39,96,07,345.53					1,75,000.00
8,51,65,347.21	Inventory Loss Funds	6,97,26,316.31					
8,38,37,473.73	Co-operative Training & Education funds	8,83,80,445.83					
12,86,82,037.28	Share Capital / Re-emption Funds	13,77,67,975.48					
1,92,13,053.70	Co-op. Movement & Development Funds	2,05,78,944.43					
1,27,11,290.95	Bad & Doubtful debts funds	1,36,19,884.76					
4,50,75,384.00	Subsidy for Godowns From NCDC	4,50,70,384.00					
11,32,19,152.65	Building Fund	12,09,41,200.12					
2,99,53,511.03	Vehicle Fund	3,20,13,847.13					
	LOANS		96,04,417.00				
46,42,880.00	Margin Money Loan From M.P. Govt. (MP Bhopal)	45,42,880.00		26,38,021.60	Loans & Advances	26,36,021.60	
45,35,657.00	Godown Loan From Central Govt (MP Bhopal)	48,36,657.00		7,13,657.00	Magni Apam Again	5,80,608.00	
24,900.00	Godown Loan From N.C.D.C	24,900.00		13,568.00	Advance To Staff	13,568.00	
	DEVELOPMENT PROJECTS		4,11,02,37,302.33				
4,01,35,050.00	47-24/05 ABW/Year Up Polymers-50.61 (PPA)	4,61,35,050.00		3,641.00	Director Gau Glensines National Park Korba	3,641.00	
				137.00	GCERT	137.00	
				3,85,73,275.36	Vark & Varje Jeevan Project 12-24/05-01	3,85,73,275.36	
				400;	600;		

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
15,11,44,865.69	41-2406 Tribal Sub Plan 321 Processing	15,40,32,005.89	9,63,21,574.42	Multiblock Development or Forest and Forest Produce	9,63,21,574.42		
7,70,68,935.73	European Commission Project (11/2406-5725)	7,74,64,292.73	60,625.00	L.S.A. on Gravity from LIC	60,625.00		
17,33,67,499.82	51-NWFP Based Livelihood project in C.G State	19,27,39,948.28	38,856.00	CG Samruddi Advance Account	38,856.00		
1,90,44,022.00	41-2406-6702 Pm Jeevan Kalyan Yojna	1,90,44,023.00	-	Sahayadri Mahimada Karava Bima Yojana(C.G.)	10,18,07,739.00		
1,36,51,427.00	10-2406-6792 Pm Jeevan Kalyan Yojna	1,36,51,427.00	-	Society Manager Group Insurance Claim	1,00,000.00		
16,25,241.75	Baster Vissa Pradhikaran	19,85,241.75	-	NWFP Motor Account ¹	3,07,678.00		
15,76,600.00	Samanya/Jaspar Vikas Pradhikaran	15,76,608.00	-	NALED, Karnataka	44,98,776.00		
45,55,374.70	UNDP-CCF-1 Bnn Diversity Conservation Project	45,55,374.70	-	MSP Accounts	79,39,50,453.00		
9,32,36,560.32	41-2406 Lss: Development Project 0554	8,99,72,720.32	-	GUNNY BAGS & HASSIAN BARDANA	1,21,67,063.70		
46,86,77,721.04	Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)	45,21,10,368.04	-	Gunny Bags & Tarpaulin(Bhopal)	1,38,45,629.00		
3,63,11,250.00	Lac Cultivation Project (SSGSY)	3,63,11,250.00	-	Hastian Bagtare (Bhopal)	1,93,22,324.70		
3,80,171.30	Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India	3,80,171.30	-	DUTIES & TAXES	1,73,40,624.76		
48,57,953.50	National Regional Plant Board (NRPB)	48,57,953.50	-	6,87,452.42	Central Sales Tax	6,87,452.42	
43,605.50	Catilization Block Villas Pradhikaran	43,605.50	-	6,87,458.98	VAT Recoverable (2010-11)	76,40,458.96	
1,33,49,146.00	State Govt. Project for Processing Centre-5231	1,33,49,146.00	-	62,67,04,289.57	VAT	67,61,20,774.67	
21,22,955.32	Camps Child Storage Building Ac	22,28,989.32	-	11,71,14,926.73	TAX DEDUCTED AT SOURCE RECEIVABLE	13,91,04,922.73	
2,07,38,719.00	NIR M Project	1,97,29,393.00	-	8,03,12,326.50	Income Tax (ITCS)	6,98,81,160.15	
			-	5,3,04,625.52	CGST Input	77,52,269.03	
			-	28,86,912.69	IGST Input	57,10,273.88	
			-	53,04,202.19	SGST Input	77,51,875.70	
			-	6,82,497.22	Entry Tax on Sale	6,82,497.22	
			-	7,05,89,056.00	INTEREST RECEIVABLE	8,17,24,077.00	
			-	5,82,030.00	REPAYABLE RECOVERIES	6,45,343.00	
			-	3,11,83,196.06	Service Charge Receivable from MSF Project	1,63,30,576.06	
			-	53,21,86,249.67	CLOSING STOCK	44,85,80,614.08	
			-	40,54,28,348.89	Forest Development Cess	4,92,410.10	
			-	59,754.00	Commerce Tax	4,52,410.10	
			-	12,65,83,040.78	Goods and Service Tax		

71

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
5,654.00	TDS on GST	1,17,105.00		29,45,414.94	Hansi	29,45,414.94	
	SUNDAY CREDITORS		1,41,63,90,995.78	1,06,01,79,783.13	Tenru Patta	43,76,34,212.18	
8,068.00	F.R.L.H.T.	9,068.00		75,08,576.85	Sai Sebdi	75,08,576.85	
3,39,57,211.86	Tanu Patta Purchasers	3,97,46,275.86			F.D.R.C.D.R.B.D.R.	5,00,99,48,188.00	
2,93,200.16	Sai Sebdi Purchasers	2,93,200.16		67,33,65,840.00	FDR A/c (Apex Bank) [F60, Capital]	91,51,35,255.00	
14,17,609.05	Hansi Purchasers	14,17,609.05			FDR A/c (Chintamani Rayas Gramin Bank)	2,00,00,00,000.00	
2,00,968.72	Gum Purchasers	2,00,968.72		1,42,22,578.00	Security Deposit [C/cont]	1,42,22,578.00	
12,22,569.20	Security Deposit other than M.F.P.	25,07,801.70		2,00,00,00,000.00	FDR A/c (Apex Bank)	2,08,05,88,354.00	
59,090.00	Tenru Medi-Plants and Hansi Medi-Care.	59,090.00					
2,40,562.03	Tirumala Tirupati Dev Sharani, Tirupati	2,40,562.00					
2,801.62	Champadukh Purchases A/c	2,601.82					
5,60,32,032.03	M.S.P Account'	-					
1,20,40,89,813.87	District Union Advance	1,37,16,47,819.47		10,52,52,437.82	P.N.B. A/c No. 03999005900000058 (C)	13,39,16,532.86	
7,86,000.00	Smitha K. Institutional Amount of Scholarship Yojana	7,86,000.00		30,21,236.81	State Bank of India A/c No. 30735345023 (C)	2,35,67,094.81	
8,05,59,617.00	Suhag Malendra Kaurna Devna Yojana	-		500.00	Apex Bank A/c No. 1149 (C)		
69,37,023.60	ICICI Bank A/c No. 01610502680 (C)			16,36,532.00	Bank of Baroda A/c No. 05100200000482 (C)	16,38,532.00	
	PAYABLE TO SOCIETIES(S.I.C.G.)		11,85,71,87,280.98	13,55,384.75	S.B. Indira A/c No. 55015385443 (C)	0.00	
4,73,12,55,667.61	Incentive Wages to Phulkies C.G.	5,22,77,00,352.52		8,256.61	Dena Bank A/c No. 018811007093 (C)	3,692.61	
2,11,33,30,984.88	Rowing Fund	2,18,35,83,969.42					
4,45,07,95,029.85	Minor Forest Trade and Development (27-1)	4,44,56,02,939.04		8,05,56,627.00	Apex Bank A/c No. 109602051019 (S)	8,08,594.00	
5,99,68,847.28	M.P.M.F.P.C.O.-OP, FED, BHOPAL A/c -1 (Revenue-A)	5,98,66,847.28		5,16,066.00	Axis Bank A/c No. 44794 (S)	5,19,068.00	
41,02,60,225.59	BIFUNCTIONAL DISPUTE WITH FED BHOPAL A/c 2	41,02,60,025.59		1,35,87,118.00	Axis Bank A/c No. 013010514636771 (S)	53,70,255.00	
28,42,59,296.60	M.P.M.F.P.C.O.-OP, FED, BHOPAL A/c -3	28,42,59,296.60		16,97,18,847.15	AXIS BANK (S) 9100100017365589 (S)	1,72,73,82,245.67	
				73,45,05,969.87	Bank of Baroda A/c No. 45730100002083 (S)	16,97,18,847.15	
				51,49,50,876.00	Bank of Baroda A/c No. 45730100002084 (S)	47,59,06,135.00	
				88,86,425.00	Bank of Baroda A/c No. 45730100002084 (S)	92,43,792.00	
				2,50,86,58,501.65	Bank of Baroda A/c No. 45730100002401 (S)	5,15,48,419.37	
				1,13,59,776.84	(C)ICICI Bank A/c No. 0161010018939 (S)	4,06,98,36,300.69	
3,22,09,40,412.06	MSP Project related Liabilities (Annexure B)			0.00	IDBI Bank (S) A/c No. 49106200371505 (S)	3,07,30,173.00	
				4,05,52,01,308.33	Indus Ind Bank A/c No. 100091521459 (T)	1,38,51,97,221.33	
				8,36,865.00	Kotak Mahindra Bank A/c No. 7314162492	8,72,676.00	
				3,68,36,863.00	Kotak Mahindra Bank A/c No. 7314162492	3,81,62,632.00	



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22

TENDU LEAVES

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock Tendu Patta	1,06,01,79,783.18	By Sales Tendu Patta	8,21,02,17,910.49
To Purchase Tendu Patta (Collection)	5,52,84,52,424.38	By Direct Incomes <i>Interest & Other Income M/s. Income Through D.U.</i>	5,09,66,291.02 20,99,504.00
To Direct Expenses	78,84,48,784.96	By Closing Stock Tendu Patta	43,76,34,212.19
Rebate on Tendupatta Sale Godown Rent MFP Insurance Premium Establishment Expenses of Primary Establishment & Administ. Exp of D.U. Godown Insurance and Premium Stationery and Printing T.P. Trade Fadhi Munshi Samuh Bima Yojana Parivar Samuh Bima yojana Shafatul Mahendra Karma Bima (Fed) Shiksha Profshikan Yojana (Scholarship) Society Manager's Group Insurance	6,36,40,719.42 9,42,960.00 25,15,968.00 18,28,37,738.00 28,84,51,955.54 11,21,312.00 19,00,261.00 50,75,999.00 2,13,48,000.00 20,73,05,177.00 1,26,42,000.00 6,66,695.00	10,44,40,302.00	
To People's Protected Area (Fed. Head) Tendu Patta	1,21,83,96,623.18	TOTAL	8,70,09,17,917.70
To Surplus	8,70,09,17,917.70		8,70,09,17,917.70
SAL SEED			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock Sal Seed'	75,08,576.85	By Closing Stock SalSeed	75,08,576.85
TOTAL	75,08,576.85	TOTAL	75,08,576.85

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	29,45,414.94	By Closing Stock	29,45,414.94
Harra		Harra	

TOTAL	29,45,414.94	TOTAL	29,45,414.94
-------	--------------	-------	--------------

GUM	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	4,92,410.10	By Closing Stock	4,92,410.10
Gum		Gum	

TOTAL	4,92,410.10	TOTAL	4,92,410.10
-------	-------------	-------	-------------


GROSS SURPLUS SUMMARY OF NOTIFIED MINOR FOREST PRODUCE


PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Gross Surplus	1,21,83,96,623.18	Tendu Patta Surplus	1,21,83,96,623.18
		TOTAL	1,21,83,96,623.18


75


 (Smt. Archana Dhangar)
 Asst. Account Officer

 (G.R. Bhawangar)
 Manager Finance


 (C.A. Ashank Sahu)
 Manager Accounts


 (S.S. Bajaj)
 Special Managing Director


 (CA Vinod K. Shukla)
 Managing Director


 VINOD & CO., AUDITORS
 FIRM NO. 121839662318
 (CA) Vinod K. Shukla (M.C. 455C)
 Auditor (M.N.O. 400023)



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES		BY GROSS SURPLUS B/F	
House Office Rent to Owner	10,61,766.00	9,75,90,467.25	BY INDIRECT INCOMES
Salary Account	6,02,98,749.00		Godown Rent Received
Conveyance Exps.	2,79,324.00		Interest Earned on Group Gratuity A/c
Excellence Award Exp.	4,000.00		Interest Earned on Group Leave Encashment Sch-A/c
Group Gratuity Expenses A/c	6,37,197.75		Received From MSP Project (2% Service Charge)
Group Gratuity Payment A/c	34,08,481.00		Interest Earned on FIDR
Group Leave Encashment Payment A/c	11,98,783.00		Interest Earned on FFD A/c
Group Leave Encashment Premium & Others A/c	3,16,128.49		Interest Earned on Saving Bank
E.P.F. Administrative Charges	8,56,493.00		Miscellaneous Income
Medical Expenses	4,71,840.00		Misc. Received Under Information Rights
Traveling Expenses	29,13,848.00		House Rent Licence Fees [Fed.]
Orderly Exp.	15,71,212.00		Vehicle Charges Recovered
E.P.F. (Contribution)	1,06,89,716.00		
Pension Contribution	37,89,612.00		
Vehicle Exp.	56,58,638.00		
Vehicle Insurance Charges	76,859.00		
Vesti (Dress) Exps.	2,14,840.00		
		BY INTEREST EARNED ON FEDERATION SEED CAPITAL	
		2,91,38,669.14	4,29,76,927.00
TO INDIRECT EXPENSES			
IT Based Software Dev. System Expense	55,927.00		
Lease Rent Exp. on Fed. Building	7,20,140.00		
Consumable Store	59,629.14		
Honorarium Exps.	8,000.00		
13.30-Godown and D.U Building repair Maint.	2,82,94,973.00		
		TO WELFARE/DEVELOPMENT EXPENSES	
		3,48,00,000.00	
TO MANAGERIAL EXPENSES			
Training	1,180.00		
AGM & BOD Meeting Expense	1,18,670.40		
Commission on Advertisement Charges	8,11,673.43		

9

PARTiculars	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Computer/Printer/ Other Ins. Repairing	2,83,957.14		
Consultancy Services	80,25,221.28		
Maintenance & Repair of Office Building	19,21,125.47		
Photocopy & Printing Exps.	4,70,422.00		
Publicity Exps.	2,37,212.00		
Telephone & Installation/lease Line Expenses	8,88,688.02		
Vehicle Others	4,22,431.00		
Stationery & Printing	6,36,833.84		
Books & Periodicals	33,530.00		
Computer Exp	5,41,476.84		
Postage & Telegram	15,186.00		
Electricity & Water Supply	11,72,877.30		
Advertisement and Tender Exp Ac	12,47,476.21		
Meeting Expenses	6,10,185.06		
Miscellaneous Expenses	23,43,473.17		
Vidhik Fees/ligation	5,07,500.00		
Bank Charges	26,857.35		
TO DISTRICT UNION COMMISSION	34.00		
TO DEPRECIATION CHARGES	3,61,54,110.50		
TO AUDIT FEES	72,034.00		
TO INCENTIVE WAGES TO PLUCKER'S	1,12,40,48,072.64		
TO MINOR FOREST TRADE & DEVELOPMENT	21,07,59,013.62		
TO REVOLVING FUND	7,02,53,004.54		
TO COMMISSION TO FEDERATION	1.00		
TO SURPLUS CARRY FORWARD TO FEDERATION	4,29,78,927.00		
P.L.			
TOTAL	1,66,61,10,521.80	TOTAL	1,66,61,10,521.80


 20th Nov 2006
 Serial No. 006222
 State Election Commission


 Vinod Kasthuri
 Auditor (M.No. 006222)


 Sanjay Shukla
 Managing Director


 S.S. Bajaj
 Manager Finance


 G.R. Bhawangar
 Manager Accounts


 Shashank Sahu
 Asst. Account Officer



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO NET PROFIT TRANSFERRED TO BALANCE SHEET	4,29,78,928.00	BY SURPLUS B/F FROM AGENCY PIL ACCOUNT	4,29,78,927.00
		BY Agency Commission B/F from Agency Pil Ac	1.00
TOTAL	4,29,78,928.00	TOTAL	4,29,78,928.00

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer

(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts

(G.R. Bhowmik)
Manager Finance
(S.S.Bajaj)
Special Managing Li

(Sanjay Shukla)



E.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH 2022

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	Grant in Aid	22,63,000.00	85,29,42,793.11 Advance to Distt. Union(Bhopal)		85,29,42,793.11
14,00,000.00	M.F.P Operation- Processing Units & Small Godowns	14,00,000.00			
22,27,000.00	NTPP Plantation (Medicinal Plants)	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	Godown Assistance	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	Subsidy for Godowns From TRIFED	30,57,321.00			
6,00,000.00	Subsidy for Small Godowns	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	Provision for T.P. Trade & Administrative Charges (New)	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	Provision for Harra Trade Expenses (New)	23,52,776.68			
39,63,288.56	Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)	39,63,288.56			
1,461.84	Provision for Other Gum Trade Expenses (New)	1,461.84			
2,024.00	Provision for Kulu Gum Trade Expenses (New)	2,024.00			
26,09,01,689.23	Provision for T.P. Trade & Admin. Charges (Old)	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	Provision for Mahua Trade Expenses	3,50,956.43			
35,84,54.50	Provision for Harra Trade Expenses (Old)	35,84,541.50			
1,99,19,699.20	Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	Incentive Wages to Pluckers (Bhopal)	5,09,30,873.30			
9,88,14,062.72	Profit To Societies (Reorganisation) (70:15:15)	9,88,14,062.72			
33,03,50,213.89	Advance From Distt Union (Bhopal)	33,03,50,213.89			
64,000.00	Cash in Transit	64,000.00			
64,29,440.39	GRAND TOTAL	91,29,29,440.39	85,29,42,793.11	GRAND TOTAL	85,29,42,793.11

Net transferred to Balance Sheet as M.P.M.F.C.O.Q. FED. 599,86,647.28

P. & CO., Accountants
Regd. No. 01548C
(Signature)


(Sanjay Shukla)
Managing Director


S. S. Dajani
Special Manager
R.D. Publishing Co., Finance


((CA Sharshank Suhu))
Advocate


(Smt. Archana Dhangar)
Arunachal Pradesh Officer



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P. PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2022

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
2,74,53,67,153.03	Revolving Fund of MSP		2,75,27,67,863.81	1,30,96,33,841.02	Fund to Meet Losses
	Opening Balance	2,74,53,67,153.03		Opening Balance	1,30,96,33,841.02
	*Fund received	-		+ Current Year Trading losses	74,16,12,935.51
	- Net of Indirect Income/Expenses	74,00,710.78			
24,54,32,607.50	Payable to MFP Gatherers Under MSP		31,26,24,110.62	83,56,20,854.60	Closing Stock
	Opening Balance	24,64,82,607.60		Aari Jirfi	35,68,27,516.80
	* Current Year	5,61,41,503.02		Amla	1,88,198.88
				Bael	4,25,864.47
				Baheda	3,56,17,169.37
				Bahada Kachhiya	16,42,450.28
				Bhakwa	13,55,278.76
				Bhulha Bajri	46,572.70
				Charka Seed	2,45,238.43
				Chironji	(27,13,678.69)
				Dhawai F.W	20,76,046.15
				Gifco	1,83,42,312.29
				Harr	1,19,85,203.25
				Harr Kachhiya	85,55,219.20
				Honey	2,01,78,221.99
				Imli Besi	4,19,495.99
				Imli Prawn	29,53,33,457.70
				Jamun Beej	30,19,088.07
				Kaju	(58,01,964.47)
				Kalmegh	1,35,00,162.79
				Kareny Beej	2,78,443.65
				Kullu Gond	57,135.28
18,24,112.69	Sundry Creditors			MFP Purchasers	
				NCDX "E" Marketing Ltd	3 69
				Receivable from Tenu Pathra A/c	79,89,60,453.00

205



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure 'B' M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2022

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
	Kusum Beej			Kusum Beej	30,500.18
	Kusum Lacs	15,76,199.97		Muthu Phool	(32,74,392.42)
	Muthu Phool	(32,74,392.42)		Muthu Seed	(3,89,85,332.31)
	Muthu Seed	(3,89,85,332.31)		Wahal Leaf	32,91,118.88
	Wahal Leaf	32,91,118.88		Malikongan	16,235.96
	Malikongan	16,235.96		Nagarmalha	20,04,218.84
	Nagarmalha	20,04,218.84		Neem Beej	5,79,451.58
	Neem Beej	5,79,451.58		Phool Jhadu	1,06,65,476.33
	Phool Jhadu	1,06,65,476.33		Puward Beej	7,351.92
	Puward Beej	7,351.92		Rangini Lac	1,42,83,041.78
	Rangini Lac	1,42,83,041.78		Salsseed	9,33,41,179.96
	Salsseed	9,33,41,179.96		Satevar	18,80,474.35
	Satevar	18,80,474.35		Sukkari	17,944.75
	Sukkari	17,944.75		Van Jeero	6,828.16
	Van Jeero	6,828.16		Van Tuls	34,011.83
	Van Tuls	34,011.83			
				46,56,47,878.93 Loans and Advances	47,73,26,469.55
				Tax Deducted at Source (Bank)	6,00,47,495.11
				District Union Advance	41,72,79,070.44
				58,31,20,844.99 Bank Account	49,08,33,097.73
				PNB A/c No. 0000067	15,56,66,024.73
				Axist Bank A/c No. 244794	22,01,21,359.00
				ICICI Bank A/c 44794	11,50,45,704.00



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2022

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
			2,44,07,483.00	Stock Of Commercial Goods MSP Gunny Bags and Stationary	11,88,58,215.72
			25,09,509.52	Duties & Taxes	2,58,29,853.06
				CGST Input	89,66,433.77
				Entry Tax	93,410.52
				SGST Input	75,42,693.77
				IGST Input	52,27,315.00
3,22,09,40,412.06	GRAND TOTAL	4,01,09,41,540.46	3,22,09,40,412.06	GRAND TOTAL	4,01,09,41,540.46



(CA Vinod Keshwani)
Auditor (M.N.O. 400622)

(S. S. Bajaj)
Managing Director

(Sanjay Shukla)
Managing Director

(G. R. Dewangan)
Manager Finance

(Smt. Archana Dhingar)
Asst. Account Officer

(CA Ashishankar Salu)
Manager Accounts



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22

SAL. SEED		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	23,53,72,096.87	By Sales
To Purchase	31,68,15,078.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	6,23,77,895.49	By Adjustment of Rectification
To Service Charge Sal Seed	63,36,301.56	By Closing Stock
To Adjustment of Rectification	5,73,897.25	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	62,14,75,269.17	TOTAL
		62,14,75,269.17

HARRA		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	3,46,87,940.23	By Sales
To Purchase	95,09,517.50	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	20,32,436.86	By Closing Stock
To Service Charge Harra	1,90,190.35	By Adjustment of Rectification
To Adjustment of Rectification	50,565.53	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	4,64,70,650.47	TOTAL
		4,64,70,650.47

MAHUA SEED		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	99,45,972.15	By Sales
To Purchase	47,241.00	By Direct Incomes
To Direct Expenses	38,918.53	By Closing Stock
To Service Charge Mahua Seed	944.82	By Adjustment of Rectification
To Adjustment of Rectification		By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	1,00,33,076.50	TOTAL
		1,00,33,076.50

CHIRONJI		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	1,40,73,438.63	By Sales
To Purchase	2,78,25,328.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	24,23,424.86	By Closing Stock
To Rectification Expenses	263.61	By Adjustment of Rectification
To Service Charge Chironji	5,56,506.56	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	4,48,78,961.66	TOTAL
		4,48,78,961.66

(83)

KUSUMI LAC		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	22,55,926.85	By Sales
To Purchase	26,790.00	By Direct Incomes
To Direct Expenses	2,268.55	By Rectification Expenses
To Service Charge Kusumi Lac	535.6	By Closing Stock
To Rectification Expenses	13.35	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	22,85,534.55	TOTAL

RANGINI LAC		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	2,84,93,282.20	By Sales
To Purchase	4,49,250.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	39,245.03	By Closing Stock
To Service Charge Rangini Lac	8,985.00	By Rectification Expenses
		By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	2,89,90,762.23	TOTAL

BAEL		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	9,26,020.69	By Sales
To Purchase	22,50,521.96	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	3,85,986.34	By Closing Stock
To Rectification Expenses	5,001.02	By Rectification Expenses
To Service Charge Bael	45,010.44	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	36,12,540.45	TOTAL

BAHEDA		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	3,47,29,121.15	By Sales
To Purchase	3,44,33,734.30	By Direct Incomes
To Direct Expenses	1,01,24,730.17	By Closing Stock
To Service Charge Baheda	6,88,674.69	By Loss Transferred to Fund to meet loss
To Rectification Expenses	3,07,421.77	
TOTAL	8,02,83,682.08	TOTAL

BAHEDA KACHARIYA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	16,17,488.48	By Sales	17,89,150.00
To Purchase	15,00,012.00	By Direct Incomes	1,548.00
To Direct Expenses	2,93,845.33	By Closing Stock	16,42,450.28
To Service Charge Baheda Kachariya	30,000.24	By Rectification Expenses	22,083.37
To Rectification Expenses	5,833.18		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	8,052.42		
TOTAL	34,55,231.65	TOTAL	34,55,231.65

DHAWAI FUL

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	30,21,568.97	By Sales	60,50,055.49
To Purchase	54,08,969.48	By Direct Incomes	24,567.00
To Direct Expenses	5,17,977.22	By Closing Stock	20,76,048.15
To Rectification Expenses	1,846.59	By Rectification Expenses	29,269.96
To Service Charge Dhawai Ful	1,06,179.38	By Loss Transferred to Fund to meet loss	78,501.04
TOTAL	90,58,541.64	TOTAL	90,58,541.64

KALMEGH

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,70,71,024.60	By Sales	1,03,07,325.95
To Purchase	65,62,421.00	By Direct Incomes	42,483.00
To Direct Over Head Expenses	16,97,887.06	By Closing Stock	1,35,00,162.79
To Rectification Expenses	14,923.99	By Rectification Expenses	2,963.25
To Service Charge Kalmech	1,31,248.42	By Loss Transferred to Fund to meet loss	16,24,570.08
TOTAL	2,54,77,505.07	TOTAL	2,54,77,505.07

NAGARMOtha

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	35,99,102.65	By Sales	32,88,275.00
To Purchase	12,11,802.00	By Direct Incomes	1,492.00
To Direct Expenses	2,18,095.52	By Closing Stock	20,04,218.84
To Rectification Expenses	405.66	By Rectification Expenses	20,090.63
To Service Charge Nagarmotha	24,236.04	By Loss Transferred to Fund to meet loss	0.00
To Payable to MFP Gatherers under MSP	2,59,234.60	TOTAL	53,12,876.47
TOTAL	53,12,876.47		

<u>AATI IMLI</u>	
PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	25,47,37,384.38
To Purchase	41,28,02,550.22
To Direct Expenses	16,10,29,928.78
To Service Charge Aati Imli	93,81,629.88
To Rectification Expenses	10,55,792.19
TOTAL	83,90,07,285.45

<u>AMLA</u>	
PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	41,005.54
To Purchase	1,27,440.00
To Direct Over Head Expenses	10,006.40
To Rectification Expenses	278.65
To Service Charge Amla	2,548.80
To Payable to MFP Gatherers under MSP	37,584.20
TOTAL	2,18,863.59

<u>BHELWA</u>	
PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	15,48,527.81
To Purchase	8,90,117.27
To Direct Over Head Expenses	4,14,713.56
To Service Charge Bhelwa	17,803.55
To Rectification Expenses	6,169.16
TOTAL	28,77,391.35

<u>CHAROTA SEED</u>	
PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	10,90,979.97
To Purchase	2,31,511.45
To Direct Over Head Expenses	1,11,862.56
To Service Charge Charota Seed	4,630.23
To Rectification Expenses	3,619.83
TOTAL	14,42,604.04

GILOE		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
		AMOUNT
To Opening Stock	2,24,46,515.26	By Sales
To Purchase	1,33,01,880.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	22,14,771.02	By Closing Stock
To Rectification Expenses	3,17,047.50	By Rectification Expenses
To Service Charge Giloe	2,66,037.60	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	3,85,46,251.38	TOTAL

HARRA KACHARIYA		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
		AMOUNT
To Opening Stock	6,96,899.50	By Sales
To Purchase	72,47,375.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	12,46,551.86	By Closing Stock
To Service Charge Harra Kachariya	1,44,947.50	By Rectification Expenses
To Payable to MFP Gatherers under MSP	24,485.82	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	93,50,259.48	TOTAL

HONEY		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
		AMOUNT
To Opening Stock	1,49,75,794.80	By Sales
To Purchase	78,70,275.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	1,76,374.89	By Closing Stock
To Rectification Expenses	1,623.64	By Rectification Expenses
To Service Charge Honey	1,57,405.50	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	2,31,81,473.83	TOTAL

IMLIBEEJ		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
		AMOUNT
To Opening Stock	30,66,836.63	By Sales
To Purchase	5,24,76.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	38,41,120.94	By Closing Stock
To Rectification Expenses	279.94	By Rectification Expenses
To Transfer From Aati Imlil		
To Service Charge Imlil Baej		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	1,49,97,140.70	
TOTAL	2,78,86,870.95	TOTAL

<u>IMLI PHOOL</u>		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	12,38,55,412.80	By Sales
To Purchase	3,02,72,015.60	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	3,87,09,784.00	By Closing Stock
To Service Charge Imli Phool	6,05,440.31	By Rectification Expenses
To Transfer From Aati Imli	6,11,02,225.48	
To Payable to MFP Gatherers under MSP	4,37,04,290.41	
TOTAL	29,82,49,168.60	TOTAL
		29,82,49,168.60

<u>JAMUN BEEJ</u>		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	8,78,785.47	By Sales
To Purchase	18,56,492.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	2,45,619.70	By Closing Stock
To Service Charge Jamun Beej	37,128.84	By Rectification Expenses
To Payable to MFP Gatherers under MSP	31,843.70	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	30,49,870.71	TOTAL
		30,49,870.71

<u>KAJU</u>		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	1,13,26,846.01	By Sales
To Purchase	86,56,240.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	3,63,888.63	By Closing Stock
To Service Charge Kaju	1,73,124.80	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	2,05,20,099.44	TOTAL
		2,05,20,099.44

<u>KARANJ BEEJ</u>		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	11,95,747.51	By Sales
To Purchase	92,684.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	27,107.63	By Closing Stock
To Service Charge Karanj Beej	1,853.68	By Rectification Expenses
To Rectification Expenses	13.52	
TOTAL	13,17,406.34	By Loss transferred to Fund to meet loss
		46,615.37
		TOTAL
		13,17,406.34

KAUNCH SEED		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	6,678.84	By Sales
To Purchase	0.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	0.00	By Closing Stock
To Service Charge Kanuch Seed	0.00	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	6,678.84	TOTAL
		6,678.84

KULLU GOND		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	59,187.75	By Sales
To Purchase	43,500.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	5,230.89	By Rectification Expenses
To Service Charge Kullu Gond	870.00	By Closing Stock
		By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	1,08,788.64	TOTAL
		1,08,788.64

KUSUM BEEJ		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	4,24,903.41	By Sales
To Purchase	3,744.40	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	0.00	By Closing Stock
To Service Charge Kusum Beej	74.89	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	4,28,722.70	TOTAL
		4,28,722.70

MAHUA PHOOL		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	24,33,161.72	By Sales
To Purchase	14,64,694.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	28,00,061.31	By Closing Stock
To Rectification Expenses	1,670.02	By Rectification Expenses
To Service Charge Mahul Phool	29,293.88	
To Payable to MFP Gaithers under MSP	65,29,262.26	
TOTAL	1,32,58,143.19	TOTAL
		1,32,58,143.19

MAHUL LEAF		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	29,60,219.98	By Sales
To Purchase	7,56,030.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	1,44,266.33	By Closing Stock
To Service Charge Mahul Leaf	15,120.60	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	38,75,636.91	TOTAL

NEEM BEEJ		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	5,01,276.76	By Sales
To Purchase	94,716.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	14,234.73	By Rectification Expenses
To Service Charge Neem Beej	1,894.32	By Closing Stock
		By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	6,12,121.81	TOTAL

PHOOL JHADU		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	53,40,638.39	By Sales
To Purchase	62,38,800.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	2,68,915.97	By Closing Stock
To Service Charge Phool Jhadu	1,24,776.00	
To Payable to MFP Gatherers under MSP	1,96,905.97	
TOTAL	1,21,70,036.33	TOTAL

PUWAD BEEJ		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	7,351.92	By Sales
To Purchase	0.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	0.00	By Closing Stock
To Service Charge Puwad Beej	0.00	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	7,351.92	TOTAL

<u>SATAVAR</u>		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	19,69,241.47	By Sales
To Purchase	1,49,619.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	3,331.88	By Closing Stock
To Service Charge Satavar	2,992.38	By Loss transferred to Fund to meet loss
TOTAL	21,25,184.73	TOTAL
		21,25,184.73

<u>SIKAKAI</u>		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	14,214.07	By Sales
To Purchase	3,500.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	155.03	By Closing Stock
To Service Charge Sikakai	70.00	
To Payable to MFP Gatherers under MSP	5.65	
TOTAL	17,944.75	TOTAL
		17,944.75

<u>VAN JEERA</u>		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	44,081.66	By Sales
To Purchase	30,310.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	11,820.84	By Closing Stock
To Service Charge Van Jeera	606.20	By Rectification Expenses
To Rectification Expenses	208.63	
To Payable to MFP Gatherers under MSP	97,366.85	
TOTAL	1,84,403.18	TOTAL
		1,84,403.18

<u>VAN TULSI</u>		
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS
To Opening Stock	45,375.55	By Sales
To Purchase	14,848.00	By Direct Incomes
To Direct Over Head Expenses	20,920.01	By Rectification Expenses
To Service Charge Van Tulsi	297.32	By Closing Stock
To Rectification Expenses	238.13	
To Payable to MFP Gatherers under MSP	2,55,330.64	
TOTAL	3,37,009.65	TOTAL
		3,37,009.65

BHELWA BEEJ			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,60,803.93	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	0.00	By Rectification Expenses	25,920.23
To Service Charge Bhelwa Beej	0.00	By Closing Stock	46,572.70
	0.00	By Loss transferred to Fund to meet loss	88,311.00
TOTAL	1,60,803.93	TOTAL	1,60,803.93

MALKANGANI			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	19,360.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	604.27	By Closing Stock	16,235.95
To Service Charge Malkangani	387.20	By Loss transferred to Fund to meet loss	4,115.52
TOTAL	20,351.47	TOTAL	20,351.47


REETHA			
PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	0.00	By Sales	0.00
To Purchase	980.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Over Head Expenses	34.38	By Closing Stock	0.00
To Service Charge Reetha	19.60	By Loss transferred to Fund to meet loss	1,033.98
TOTAL	1,033.98	TOTAL	1,033.98



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
M.S.P.PROJECT PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Bank Charges Distt Union	0.00	By Interest Earned on FFD	54,82,797.00
To Bank Charges H.O.	52,046.48	By Interest Earned on FDR	0.00
To Other Expenses DU and H.O.	19,99,545.74	By Interest Earned on Saving	38,49,431.00
To Revolving Fund of MSP	74,00,710.78	By Misc Income	1,20,075.00
TOTAL	94,52,303.00	TOTAL	94,52,303.00

Note : Expenses other than collection i.e indirect expenses are separately shown in indirect income/expenses statement.



(Smt. Archana Dhangar)
 Asst. Account Officer

 (G.R. Deviganj)
 Manager Finance

 (CA Shashank Sahu)
 Manager Accounts

(S.S. Bajaj) Special Managing Director

(Sanjay Shukla) Managing Director

(CA Vinod Keshwan)

Auditor (M.No. 400622)



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "C"- Notes to Accounts:

1. Contingent Liability:

S. No.	Particulars	Year	Amount as on 31.03.2022	Remarks	Appeal Pending before
1.	Disputed Income Tax Demand.	2014-15	71,55,53,899/-	Note-1	CIT (Appeals)
2.	Disputed Income Tax Demand.	2015-16	79,04,51,040/-	Note-1	CIT (Appeals)
3.	Disputed Income Tax Demand.	2016-17	1,82,96,90,071/-	Note-1	CIT (Appeals)
4.	Disputed VAT Demand.	2009-10	4,40,89,796/-	Note-2	High Court of Chhattisgarh
5.	Disputed VAT Demand.	2010-11	50,42,00,738/-	Note-2	High Court of Chhattisgarh
6.	Disputed VAT Demand.	2013-14	4,22,16,944/-	Note-2	Deputy Commissioner VAT Tax
7.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2002-03	89,09,484/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
8.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2003-04	88,71,505/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
9.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2004-05	70,05,159/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh

✓

10.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2005-06	76,83,298/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
11.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2006-07	87,91,321/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
12.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2007-08	1,38,94,393/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
13.	Disputed Audit Fees of Registrar Cooperative Societies.	2008-09	1,41,90,773/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh
14.	Pending Litigation due to Separation of Minor Forest Office	-	93,27,00,000/-	Note-4	High Court of Chhattisgarh

Note-1: The Scrutiny assessment of the C.G State Minor Forest Produce (T&D) Co-Operative Federation Ltd., Raipur w/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961 were completed for the F.Y. 2014-15, 2016-16 and 2016-17 and the above mentioned demand's of Income Tax was raised during the year. The federation had preferred an appeal before the First Appellate Authority against the assessment orders and the same is pending.

Note-2: Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgment of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.

Note-3: The Federation office had referred to Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh for Audit of Year 2002-03 to 2008-09 and after completion of Audit, Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh had raised bill based on the turnover calculated by them and against which the Federation had filed an Writ Petition before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and the same is pending.

Note-4: After the formation of Chhattisgarh State, the M.P Minor Forest Office was separated into two parts and due to the separation procedure, the M.P Minor Forest Office has filed an Writ Petition against the C.G Minor Forest Office for payment of outstanding dues and the same is pending.

2. **Separate Books of Accounts of M.S.P Books:**

Separate Books of Accounts of M.S.P Project have been maintained trading profit transferred to Payable to MFP gatherers under MSP, trading loss have been transferred to Fund to meet losses account and net of all indirect income/expenses have been transferred to Revolving Fund of MSP . Details of Assets and Liabilities are shown separately in **Annexure "B"**.

3. **Non Moving Stocks:**

In the books of Federation, there are some non moving stocks like Sal Seed, Harra, Gum which are non moving from last several years for which the write off procedure will be adopted after the physical verification of stocks are done.

4. **Suspense in Books:**

There are many suspense entries in the books of Federation which have bearing impact on the financials of the Federation.

5. **Closing Stock:**

As per the general Accounting Principles, the Federation values its closing stock at '*Cost or NRV, whichever is lower*'.

6. **Outstanding Balances of M.F.P Bhopal:**

After the separation of M.P Minor Forest Produce office, the M.P Minor Forest Produce office had claimed Rs.73,45,05,969.87/- from C.G Minor Forest Office. As the matter is in dispute before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hence, the same is contingent in nature.

- 6.1 Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal are disclosed separately in Balance sheet as liability in **Annexure "A"**.
- 

6.2 Balance of "Profit to Societies" related to 70:15:15 as per Balance Sheet dated 31-10-2000 received from M.P. Fed. Bhopal the amount related to Provision of Development of Forest and Forest Produce for the year ended 1998, 1999, 2000 is not incorporated in corresponding ledgers.

7. Unpaid Loans & Liabilities:

The Federation has received loan amounting to Rs.96,04,417/- brought forward from M.P minor Forest Produce Office. As the matter is in dispute before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hence, the same is contingent in nature.

8. Payable to societies:

The surplus earned by the federation is distributed in the ration of 80:15:5 as per the order of the Chhattisgarh Government vide order No. F13-31/2009/10-2 dated 03.11.2009.

The details of surplus is tabulated herein below:

S. No.	Particulars	%
1.	Incentive wages to pluckers	80%
2.	Minor Forest Trade and Development (60)	15%
3.	Revolving Fund	5%

9. Basis of preparation of Financial Statements:

The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles applicable to Co-operative Societies in India and provisions of the statute have also been followed. The Financial Statements have been prepared under the historical cost convention, on the basis of a going concern, with revenues recognized and expenses accounted on their accrual, including provisions / adjustment for committed obligation and amount determined as payable or receivable during the period. In some of the areas, cash basis of accounting has been followed as it is not practicable and feasible to follow mercantile system of accounting in respect of those areas.

10. Fixed Assets:

Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of duties, taxes, incidental expenses, erection / commissioning expenses, including financial cost (if any) till commencement and regularization of fixed assets.

11. Depreciation:

During the year under review, depreciation has been provided in books of accounts at presently prevailing rates prescribed under the Income Tax Act. If any asset is put to use for a period of less than one hundred and eighty days in the Financial Year, the deduction w.r.t. depreciation in respect of such asset shall be restricted to Fifty percent of the amount calculated at the percentage prescribed for the respective asset.

Arrears on account of
expenses incurred



(Smt. Archana Dhingar)
Ass't. Account Officer

(CA Shastri Sahu)
Manager Accounts

(G.R. Devangan)
Manager Finance

(S.S. Bajaj)
Special Managing Director

(Sanjay Shukla)
Managing Director

(EA Vinod Kelkar)
Auditor (M. No. 22222222)

विषय क्रमांक - ४

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 से जिला यूनियनों एवं समिति स्तर पर किये जाने वाले लेखांकन कार्य हेतु सी.ए. फर्म की नियुक्ति बाबत।

संघ मुख्यालय द्वारा जिला यूनियनों को संग्रहण एवं अन्य कार्यों हेतु राशि अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है। जिला यूनियन द्वारा संग्रहण कार्य हेतु उक्त राशि को समितियों को प्रदाय कर संग्रहण कार्य एवं अन्य कार्य कराये जाते हैं। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् समितियों द्वारा लेखांकन कर जिला यूनियनों को समायोजन हेतु लेखा प्रेषित किया जाता है, एवं इसी प्रकार जिला यूनियनों द्वारा भी लेखा पुस्तकों में उक्त व्यय को समायोजन कर संघ मुख्यालय में समायोजन हेतु प्रेषित किया जाता है।

उक्त लेखा प्रक्रिया में काफी अधिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है, जिस कारण समय पर जिला यूनियनों एवं समितियों से लेखा समायोजन हेतु संघ मुख्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाता है। यही कारण है कि संघ के वित्तीय पत्रकों को निर्धारित समयावधि में वार्षिक आम सभा में रखने एवं टैक्स रिट्टन आदि जमा करने में विलंब होता है।

अतः प्रस्तावित है कि Support Staff for Accounting in District Union and Primary Society हेतु आफर आमंत्रित कर सी.ए. फर्म की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। उक्त फर्म द्वारा समिति एवं जिला यूनियन स्तर पर उपस्थित रहकर संपूर्ण लेखांकन का कार्य किया जावेगा। उक्त कार्य में अनुमानित व्यय 1 से 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष होना प्रस्तावित है। उक्त व्यय संघ की लेखा पुस्तकों में Consultancy Services मद में भारित होना प्रस्तावित है।

अतः सी.ए. फर्म से Support Staff for Accounting in District Union and Primary Society हेतु कार्य कराने जाने हेतु प्रस्ताव संघ की 89वीं संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन उपरांत 23वीं वार्षिक साधारण आम सभा के समक्ष रखे जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

---000---

**छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित नवा रायपुर
में कार्यरत अधिकारी**

अ.क्र.	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	मूल विभाग का नाम
1	2	3	4
1	श्री संजय शुक्ला, भारतीय वन सेवा	प्रबंध संचालक (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
2	श्री एस.एस.बजाज, भारतीय वन सेवा	विशेष प्रबंध संचालक (संविदा) (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
3	श्री बी.आनंद बाबू, भारतीय वन सेवा	अपर प्रबंध संचालक (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
4	श्री अमरनाथ प्रसाद, भारतीय वन सेवा	कार्यकारी संचालक (मुख्य वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
5	श्री आर.सी.दुर्गा, भारतीय वन सेवा	महाप्रबंधक (उत्पादन/भण्डारण) (अधि वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
6	सुश्री किरन गुप्ता, राज्य सिविल सेवा	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग
7	श्री जी.आर.देवांगन, राज्य सिविल सेवा	प्रबंधक (वित्त) (लेखाधिकारी)	छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
8	श्री सुबीर कुमार दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	राज्य लघु वनोपज संघ
9	श्री शशांक साहू	प्रबंधक (लेखा)	राज्य लघु वनोपज संघ
10	श्री के.के. धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	राज्य लघु वनोपज संघ
11	कु. काजल साहू	प्रोग्रामर	राज्य लघु वनोपज संघ
12	श्री अक्षय मनु	उप प्रबंधक आंतरिक अंकेक्षण	राज्य लघु वनोपज संघ